

ANNUAL REPORT

(2011-12)

ENGLISH



*Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
Model Schools Scheme
and
Girls Hostel Scheme*

Himachal Pradesh School of Education Society
Director of State Project
Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
DPEP Bhawan, Lal Pani, Shimla-1

बार्षिक रिपोर्ट (2011-12)

हिन्दी



राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
मॉडल स्कूल योजना एवं
बालिका छात्रावास योजना

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति

राज्य परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

डी.पी.ई.पी. भवन, लालपानी, शिमला-171001

हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी विकास संघ मुद्रणालय, शिमला-४ द्वारा मुद्रित/200 किताबें।
फोन : 0177-2803323

अध्याय 1

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

परिचय

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक स्तर पर (9वीं एवं 10वीं कक्षाओं के लिए) भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत वर्ष 2009-10 से ‘हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति’ एवं सर्व शिक्षा अभियान के प्रशासनिक ढाँचे द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यह परियोजना वर्तमान ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्र तथा राज्य की 75 व 25 प्रतिशत की भागीदारी से क्रियान्वित की जा रही है।

इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2017 तक माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण तथा वर्ष 2020 तक ठहराव का सार्वभौमिकरण है। माध्यमिक शिक्षा के पीछे विज़न है 14-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी युवाओं को अच्छी गुणवत्तापूर्ण, सुलभ तथा सस्ती शिक्षा उपलब्ध करवाना।

ध्येय (विजन)

माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि है 14-18 वर्ष आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों को गुणात्मक, गुणवत्ता की शिक्षा, सुलभ तथा सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराना। इस दृष्टि (विजन) को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए जाने हैं :

- किसी भी अधिवास क्षेत्र के लिए वाजिब दूरी पर माध्यमिक विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराना, जो कि माध्यमिक विद्यालय के लिए 5 किलोमीटर तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर पर 7-10 किमी० के अन्दर हो। हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विशेष नीतिनुसार 3 किमी० में माध्यमिक विद्यालय खोलने का अधिकार दिया गया है।
- 2017 तक सभी को माध्यमिक शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करना (100%GER)।
- 2020 तक सभी बच्चों को स्कूल में ठहराव।
- समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर तबकों के विशेष सन्दर्भ में, शैक्षिक रूप से पिछड़े, लड़कियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे असमर्थ बच्चों एवं अन्य पिछड़े वर्गों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं, शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों (EBM) को माध्यमिक शिक्षा सुगमतापूर्वक उपलब्ध कराना।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की चुनौती का सामना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा के ढाँचे में संकल्पनात्मक रूपरेखा की आवश्यकता है। इस संबंध में सार्वभौमिक पहुँच, समानता

सामाजिक न्याय, प्रासंगिकता, पाठ्यक्रम तथा सट्रक्चरल पहलू आदि मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। समानता का कदम माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की ओर है। कॉमन स्कूल की अवधारणा को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। यदि इन सभी मूल्यों को सम्मिलित करते हैं तो सभी स्कूल जिनमें निजी स्कूल भी शामिल हैं, माध्यमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य प्राप्ति के लिए गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुनिश्चित बनाएंगे।

- यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं, कर्मचारी तथा स्थानीय सरकार/निकायों एवं शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में कम से कम सुझाए गए मानकों के अनुसार एवं अन्य विद्यालयों के मामले में उचित नियामक तंत्र के अनुसार कार्य हो।
- नियमों के अनुसार सभी विद्यार्थियों को माध्यमिक विद्यालय स्तर की शिक्षा सुगम बनाना, नजदीक उपलब्ध करवाकर जैसे कि माध्यमिक विद्यालय 5 किलोमीटर के भीतर एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय स्तर 7-10 किमी० के भीतर/दक्ष एवं सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था/आवासीय सुविधाएं, स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार, मुक्त विद्यालय सुविधा उपलब्ध करवाना, लेकिन पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में, इन नियमों में कुछ ढील दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित किए जाने को अधिमान दिया जा सकता है।
- यह सुनिश्चित करना कि कोई भी बालक लिंग, सामाजिक-आर्थिक, असमर्थता या अन्य रूकावटों की वजह से गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा से वंचित न रहे।
- माध्यमिक शिक्षा का स्तर सुधारना, जिसके परिणामस्वरूप बौद्धिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समझ बढ़े।
- यह सुनिश्चित करना कि माध्यमिक शिक्षा ले रहे सभी छात्रों को अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, उपर्युक्त उद्देश्यों की प्राप्ति, अन्य बातों के साथ-साथ, कॉमन स्कूल सिस्टम की दिशा में महती प्रगति को भी दर्शाएंगी।
- प्रारम्भ में यह योजना कक्षा 9वीं व 10वीं के लिए होगी। तत्पश्चात उच्चतर माध्यमिक स्तर को भी लिया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा तक सभी की पहुंच बनाने एवं उनकी गुणवत्ता में सुधार के लिए रणनीति इस तरह है :

पहुँच

देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा में बड़ी असमानता है। निजी तथा सरकारी विद्यालयों के बीच असमानताएं हैं। गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के लिए एकसमान पहुंच प्रदान करने के लिए यह स्वाभाविक है कि राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से डिजाइन किए गए विस्तृत नियम विकसित किए जाएं तथा प्रत्येक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश के लिए प्रावधान किए जाएं-न सिर्फ राज्य, केन्द्र शासित प्रदेश की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, भाषागत एवं सांख्यिकीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए ही

नहीं बल्कि जहां जरूरी हो स्थानीय जगह के अनुसार भी। माध्यमिक विद्यालयों में नियम सामान्यतौर पर केन्द्रीय विद्यालयों के तुल्य होने चाहिए। ढांचागत सुविधाओं एवं सीखने के संसाधनों का विकास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा।

- मौजूदा विद्यालयों में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की शिफ्टों का विस्तार रणनीति।
- सूक्ष्म नियोजन के आधार पर सभी आवश्यक ढांचागत सुविधाओं एवं शिक्षकों सहित उच्च प्राथमिक विद्यालयों का उन्नयन। प्राथमिक विद्यालयों के उन्नयन के समय आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता दी जाएगी।
- आवश्यकता के आधार पर माध्यमिक विद्यालयों का उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में उन्नयन।
- स्कूल मैपिंग प्रक्रिया द्वारा अब तक अछूते रहे क्षेत्रों में नए माध्यमिक विद्यालय/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खोलना। इन सभी इमारतों में वर्षा-जल संचय प्रणाली अनिवार्य रूप से होगी तथा उसे विकलांगों के लिए मित्रता बनाया जायेगा।
- वर्षा-जल संचय प्रणालियां मौजूदा विद्यालयों में भी लगाई जाएंगी।
- मौजूदा विद्यालयों की इमारतों को भी विकलांगों के लिए मित्रता बनाया जाएगा। नए विद्यालयों को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी के आधार पर स्थापित किया जाएगा।

गुणवत्ता

- आवश्यक ढांचागत सुविधाएं जैसे श्यामपट्ट, कुर्सियाँ, पुस्तकालय, विज्ञान एवं गणित प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर प्रयोगशालाएं, शौचालय एवं पेयजल आदि की सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति तथा शिक्षकों का कार्य के दौरान प्रशिक्षण।
- कक्षा 8 उत्तीर्ण कर रहे छात्रों की सीखने की क्षमता में वृद्धि के लिए सेतु-पाठ्यक्रम।
- राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना (NCF 2005) के मानकों के अनुसार पाठ्यक्रम का पुनरावलोकन।
- ग्रामीण तथा दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा, महिला शिक्षकों को आवासीय सुविधा के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।

न्याय

अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए मुफ्त भोजन/आवास की सुविधाएं।

- लड़कियों के लिए छात्रवास/आवासीय विद्यालय, नकद प्रोत्साहन, स्कूल ड्रेस, पुस्तकें व अलग शौचालय की सुविधाएं।
- प्राचीणता सूची में आप/जरूरतमंद छात्रों को माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- सभी गतिविधियों की विशिष्टता होगी, समावेशित शिक्षा। सभी विद्यालयों में विभिन्न क्षमताओं के बच्चों के लिए मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुक्त एवं दूरस्थ सीखने की जरूरतों के फैलाव की आवश्यकता विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो पूर्णकालिक माध्यमिक शिक्षा हासिल नहीं कर सकते तथा आमने-सामने बैठकर निर्देशों के लिए पूरक सुविधाओं में वृद्धि। यह प्रणाली विद्यालय के बाहर रहे रहे बच्चों की शिक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

संस्थागत सुधार एवं स्त्रोत संस्थाओं का सशक्तीकरण

केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रत्येक राज्य में आवश्यक प्रशासनिक सुधार पूर्व-शर्त होगी। इन संस्थागत सुधारों में शामिल हैं-

- विद्यालय प्रशासन में सुधार-प्रबन्ध तथा जवाबदारियों के विकेन्द्रीकरण द्वारा विद्यालयों के प्रदर्शन में सुधार।
- शिक्षकों की भर्ती, नियुक्ति, प्रशिक्षण, वेतन एवं कैरियर विकास की न्यायोचित नीति आत्मसात करना।
- शैक्षणिक प्रशासन में आधुनिकीकरण/ई-शासन एवं जिम्मेदारी बांटना/विकेन्द्रीकरण करना।
- सभी स्तरों पर माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में आवश्यक व्यावसायिक एवं अकादमिक जानकारी का प्रावधान।
- कोषों के त्वरित प्रवाह एवं उनके अधिकतम उपयोग के लिए वित्तीय प्रक्रियाओं का सरलीकरण।
- विभिन्नत स्तरों पर स्त्रोत संस्थाओं का आवश्यक सशक्तीकरण, उदाहरण के लिए :
 - राष्ट्रीय स्तर पर -राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (RIE सहित), राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA) एवं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS).
 - राज्य स्तर पर-राजकीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् (SCERT), राज्य के मुक्त विद्यालय, राजकीय शैक्षिक प्रबन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान (State Institute of Educational Management and Training, SIEMAT) आदि एवं

- विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग, विज्ञान/सामाजिक विज्ञान/मानविकी शिक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध संस्थाएं एवं केन्द्र प्रायोजित शिक्षकों की शिक्षा योजना, शिक्षक शिक्षण कॉलेज/शिक्षा में उन्नत अध्ययन की संस्थाएं।
- नियोजन प्रक्रिया लागू करने तथा उस पर निगरानी रखने एवं सतत् विकास के लिए पंचायती राज एवं नगर निगम, समुदाय, शिक्षकों, पालकों एवं अन्य हिस्सेदारों की माध्यमिक शिक्षा में विद्यालय प्रबन्ध समितियों एवं पालक-शिक्षक संघों जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से भागीदारी।

अध्याय 2

कार्यक्रम प्रबन्धन

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को लागू करने के लिए एक स्वायत्त समिति हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा सोसायटी (HPSES) का पंजीकरण हिमाचल प्रदेश सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 2006 की धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत पंजीकृत किया गया है। 19 मार्च, 2010 को (2006 का 25 सं. रजिस्टर सोसाईटी जिला-शिमला, हिमाचल प्रदेश द्वारा क्र०सं०120/95 में, प्रधान शिक्षा सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में सोसाईटी का गठन किया गया जिसका मुख्यालय प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, ग्लेन होगन लालपानी, शिमला 171001 में स्थित है।

प्रबंधन संरचना

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ‘हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति’ (HPSES) द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है इस के दो अंग हैं - शासकीय परिषद् जिसमें मुख्यमंत्री, हिंप्र०, पदेन अध्यक्ष है और कार्यकारी समिति जिसके अध्यक्ष प्रधान सचिव, शिक्षा, हिंप्र० है।

शासकीय परिषद्

(संघीय ज्ञापन के नियम-7 के तहत गठित)

1.	माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश	अध्यक्ष
2.	माननीय शिक्षा मंत्री, हिमाचल प्रदेश	उपाध्यक्ष
3.	मुख्य सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
4.	सचिव योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
5.	सचिव वित्त, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
6.	सचिव सामाजिक और महिला कल्याण हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
7.	सचिव स्कूल शिक्षा, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
8.	सचिव लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
9.	सचिव पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास, हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य

10.	सचिव स्थानीय स्वयं, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
11.	सचिव सार्वजनिक सम्पर्क, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
12.	आयुक्त/सचिव जनजातीय विकास, हिमाचल प्रदेश	पदेन सदस्य
13.	अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, स्कूल फ़िक्षा बोर्ड	पदेन सदस्य
14.	प्राचार्य, एससीईआरटी, सोलन हिमाचल प्रदेश सरकार	पदेन सदस्य
15.	सुश्री इंदिरा चौहान, सीएचटी. प्राइमरी स्कूल, पौंटा साहिब, जिला सिरमौर	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
16.	श्री चमन ठाकुर, बी०पी०ई०ओ०, ग्राम कोठी, डा० चौलथरा तहसील सरकाधाट, जिला मंडी	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
17.	श्री रमेश ठाकुर जे०बी०टी०, प्राइमरी स्कूल, बैलग दा घाट तहसील भौरंज, जिला हमीरपुर	पूर्व प्राथमिक स्कूल शिक्षक और एनईएफ व्यक्ति
18.	श्री बलदेव चंद धीमान सेवानिवृत, प्रधानाचार्य, ग्राम ककरयाना पो०ओ० टिक्कर (डिडर्वी) जिला हमीरपुर	उच्च प्राथमिक अध्यापक
19.	श्री ब्रह्म दत्त शर्मा, सेवानिवृत उप.निदेशक गांव व डाकघर बेला, तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	शिक्षाविद्
20.	श्रीमती प्रेमी देवी, बी०ई०ई०ओ०, झंडुता जिला बिलासपुर	शिक्षाविद्
21.	श्रीमती किरण गेरा, प्रज्ञा(एनजीओ), जीवन ज्योति बिलिंग वी०पी०ओ० रिकांगपिओ किन्नौर	स्वैच्छिक एजेंसी
22.	श्रीमती संचना गोयल, आई०ए०एम०डी०, अस्पताल रोड, सोलन	स्वैच्छिक एजेंसी
23.	डॉ० एन०के० शर्मा, क्लीनिकल मनोविज्ञानी, नेशनल स्ट्रीट, मंडी	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू. जनजाति एवं विकलांग हेतु
24.	श्री बलदेव राज अवस्थी(आयुर्वेदिक अधिकारी)नजदीक गैस एजेंसी, कुल्लू	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू. जनजाति एवं विकलांग हेतु
25.	श्रीमती चन्द्रकला, सी०डी०पी०ओ०, ग्राम द्रंग, डाकघर कुनू जिला मंडी	महिला फ़िक्षाविद्
26.	श्रीमती सतवीर कौर, धर्म पत्नी श्री पी०एस० बोंसरा, गांव व डाकघर देहलां ऊना	महिला फ़िक्षाविद्
27.	श्री एस०एन० शौरी, सेवानिवृत उपनिदेशक धर्मशाला	सामाजिक कार्यकर्ता

28.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर कैथू शिमला-3	साहित्यकार और कलाकार भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य
29.	संबन्धित संयुक्त सचिव	
30.	संबन्धित संयुक्त सचिव या उसके द्वारा नामित व्यक्ति	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
31.	वित्तीय सलाहकार मानव संसाधन विकास मंत्रलय या उसके द्वारा नामित व्यक्ति	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
32.	डॉ० गोविन्द, एन०य०ई०पी०ए०	एम.एच.आर.डी. द्वारा नामित
33.	उप कुलपति हिं०प्र० विश्वविद्यालय शिमला (एस०एस०ए० मॉनिटरिंग संस्थान)	शिक्षाविद्
34.	श्री जे०बी०जे० तिलक, वरिष्ठ फैलो एन०य०ई०पी०ए०	शिक्षाविद्
35.	प्रो. श्याम मेनन, सी०आई०ई० दिल्ली विश्वविद्यालय	शिक्षाविद्
36.	प्रो. आलोक गुहा, विकलागता कारपोरेशन नई दिल्ली	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू.जनजाति एवं विकलांग हेतु
37.	श्री आर०डी० मुडां, पूर्व कुलपति, रांची विश्वविद्यालय	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू.जनजाति एवं विकलांग हेतु
38.	श्री सुभाष माहादपुरकार, सूत्र सोलन	विशेषज्ञ अ.सू.जाति, अ.सू.जनजाति एवं विकलांग हेतु
39.	डॉ. पाम राजपूत, पंजाब विश्वविद्यालय	महिला शिक्षाविद्
40.	सुश्री कुजंना सिंह, रेंजर पैलेस, जिला सिरमौर, हिं०प्र०	महिला शिक्षाविद्

कार्यकारी समिति

1.	प्रधान सचिव (शिक्षा) हिं०प्र० सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रधान सचिव (वित्त) हिं०प्र० सरकार	सदस्य
3.	प्रधान सचिव (योजना, आर्थिकी एवं सांख्यिकी) हिं०प्र० सरकार	सदस्य

4.	प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) हिंप्र० सरकार	सदस्य
5.	अवर/सयुंक्त/उप सचिव (शिक्षा) हिंप्र० सरकार	सदस्य
6.	निदेशक उच्चतर शिक्षा एवं मिशन निदेशक (आर०एम०एस०ए०)	सदस्य
7.	निदेशक प्रारम्भिक फ़िक्षा एवं मिशन निदेशक(एस०एस०ए०)	सदस्य
8.	प्रधानाचार्य एससीईआरटी, सोलन	सदस्य

भारत सरकार द्वारा नामित सदस्य

9.	संबन्धित संयुक्त सचिव या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
10.	वित्तीय सलाहकार, मानव-संसाधन विकास मंत्रालय या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
11.	डॉ. गोविन्द, एनयूईपीए	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
12.	डॉ. नेगी, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला	शिक्षाविद् शिमला (सर्व शिक्षा अभियान मॉनिटरिंग संस्थान)
13.	डॉ. टिटल मत्होत्रा, अमर ज्योति ट्रस्ट, नई दिल्ली	स्वैच्छिक एजेंसी
14.	सुश्री विमला रामचंद्रन	महिला शिक्षाविद्

राज्य सरकार द्वारा मनोनित सदस्य

15.	श्री ब्रह्मदत्त शर्मा, सेवानिवृत, उप निदेशक गांव व डाकघर बेला तहसील नादौन, जिला हमीरपुर	शिक्षाविद्
16.	श्रीमती संजना गोयल, आई एम डी अस्पताल रोड, तहसील एवं जिला सोलन	स्वैच्छिक एजेंसी
17.	श्री जगदीश शर्मा, श्री हरि कुंज, लोअर केथू शिमला-3	साहित्यकार एवं कलाकार
18.	राज्य परियोजना निदेशक (एस.एस.ए./आर.एम.एस.ए.) हिंप्र०	सदस्य सचिव

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत स्टाफ स्थिति

राज्य स्तर पर

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	प्रवक्ता	2	2	0
2.	प्रशिक्षित स्नातक	1	1	0
3.	सहायक/लिपिक	3	2	1

जिला स्तर पर

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1.	जिला कार्यक्रम समन्वयक/ उपनिदेशक उच्च शिक्षा	12	12	0
2.	जिला परियोजना समन्वयक	11	0	11
3.	प्रवक्ता	3	0	3
4.	अनुभाग अधिकारी	14	0	14
5.	लिपिक एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर	25	11	15
6.	चपरासी और चौकीदार	14	0	14
	कुल	79	23	57

अध्याय 3

विभिन्न गतिविधियों में प्रगति

प्रदेश में माध्यमिक स्तर पर बच्चों के स्कूल में पहुंच, नामांकन, तथा ठहराव बहुत बड़ी चिंता का विषय नहीं है लेकिन माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना ही राज्य की मुख्य प्राथमिकता है। अध्यापकों की पर्याप्त तैनाती, नए पाठ्यक्रम का विकास, अध्यापक प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, क्रियात्मक अनुसंधान करवाना, अध्यापकों तथा छात्रों के कौशल विकास हेतु प्रशिक्षण, स्कूल विकास योजना, समुदाय को संवेदनशील बनाने, व्यावसायिक शिक्षा, नियमित मॉनिटरिंग, निरीक्षण एवं मूल्यांकन जैसी विभिन्न गतिविधियां करवाई जा रही हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन में योजना का आकार छोटा रहता है। एक बड़ी समस्या जो सामने आई है वह है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में दिशा निर्देशों में स्वीकृत कम प्रबन्धन लागत की। इसलिए यद्यपि राज्य सरकार ने पदों की स्वीकृति दे दी है तथापि फंडस के अभाव में आवश्यकता के अनुसार व्यक्तियों को पदों पर तैनात नहीं किया जा सकता।

वर्ष 2010-11 के अन्तर्गत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की उपलब्धियां :

1. वित्तीय लेखा जोखा :

वर्ष 2009-10 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत राज्य को पूर्व परियोजना गतिविधियों हेतु 160 लाख रुपये (केन्द्र सरकार से 120 लाख रु० व राज्य सरकार से 40 लाख रु०) प्राप्त हुए। पूर्व परियोजना के अन्तर्गत प्राप्त राशि का उपयोग निम्नलिखित गतिविधियों के लिए किया गया।

क्र० सं०	गतिविधियां (पूर्व परियोजना)
1.	जिला स्तरीय कार्यालयों का सशक्तिकरण
2.	मुद्रण सामग्री, बिजली, पानी, दूरभाष शुल्क, फर्नीचर, अन्य कार्यालय एवं आकस्मिक खर्चे।
3.	प्रति जिला 2 लाख रुपये की दर से कार्यशालाओं, संगोष्ठियों एवं प्रशिक्षणों का आयोजन।
4.	सांस्कृतिक गतिविधियां/सामुदायिक सहभागिता एवं स्कूल की संरचनात्मक व्यवस्था तथा स्कूल विकास योजना की उपलब्धता सम्बन्धी आंकड़ों का एकत्रीकरण (2015 स्कूलों में 2000 रुपये प्रति स्कूल की दर से)
5.	जिला स्तर पर कम्प्यूटरों की स्थापना, उनके बाह्य उपकरणों, फैक्स मशीन, फोटोस्टेट तथा फर्नीचर।
6.	राज्य स्तर पर कम्प्यूटरों की स्थापना, बाह्य उपकरणों, फैक्स मशीन, फोटोस्टेट तथा फर्नीचर।
7.	एन.सी.ई.आर.टी. से माध्यमिक कक्षाओं हेतु विषयवस्तु आधारित CDs की खरीद।
8.	कार्यालय खर्च/मुद्रण एवं लेखन सामग्री/स्टाफ का वेतन।

- वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान योजना आकार 4698.83 लाख रुपये था जिसमें से 3677.73 लाख रुपये (केन्द्र सरकार से 2758 लाख रुपये तथा राज्य सरकार से 919.73 लाख रुपये) अनुदान के रूप में प्राप्त हुए।
- वर्ष 2010-11 हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश के लिए प्रारम्भ में पीएबी भारत सरकार द्वारा 15684.31 लाख रुपये की योजना अनुमोदित की गई थी जिसे बाद में पीएबी भारत सरकार द्वारा पत्र संख्या एफएन.1-32/2010-एससीएच-1 दिनांक 17.02.2011 के अनुसार घटाकर 12390.26 लाख रुपये कर दिया गया।
- वर्ष 2011-12 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड भारत सरकार द्वारा रामायणीयोगी के अन्तर्गत रुपये 20126.80 लाख (केन्द्र सरकार का भाग 15095.10 लाख रुपये और प्रदेश सरकार का भाग 5031.70 लाख रुपये)। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड को अनुपूरक गुणवता योजना के तहत 1446.88 लाख रुपये भेजी और भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 571.35 लाख रुपये अनुमोदित किए। इस तरह से वर्ष 2011-12 के लिए भारत सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने कुल 20698.15 लाख रुपये अनुमोदित किए।
- अनुमोदित योजनानुसार वर्ष 2011-12 में भारत सरकार ने 951.08 लाख रुपये प्रथम किश्त और 1150.15 लाख रुपये (171.40 +733.75 +245.00) आवर्ती अनुदान के लिए दूसरी किश्त क्रमशः अक्तूबर 2011 और फरवरी 2012 में प्राप्त हुई। राज्य सरकार से राज्य का भाग 700.04 लाख रुपये भी प्राप्त हुआ।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राप्त आवर्ती अनुदान राशि का उपयोग स्कूल ग्रांट, स्कूल मुरम्मत, अध्यापक प्रशिक्षण तथा कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के शैक्षणिक भ्रमण के लिए किया गया है।
- वर्ष 2011-12 में परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 22 नए स्कूलों को उच्च पाठशालाओं में स्तरोन्नत करने की मंजूरी दी। अब तक राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में 59 स्कूलों को कार्यान्वित किया है जिनमें से 22 स्कूल राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा कराई गई स्कूल मैपिंग के तहत न्यायसंगत हैं। परन्तु इन स्कूलों के निर्माण कार्य के लिए अनावर्ती गतिविधियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में अनुदान उपलब्ध न होने के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जा सके हैं।
- वर्ष 2009 में भारत सरकार द्वारा राजकीय माध्यमिक पाठशाला से राजकीय उच्च पाठशाला में स्तरोन्नत करने के लिए मंजूर किए गए स्कूलों की सूची।

क्र० सं०	जिला	खण्ड/तालुका/ नगर निगम	डाईस कोड	स्कूल का नाम
1	कांगड़ा	देहरा	02020509202	रामायणीयोगी

2	कांगड़ा	नगरोटा बागवां	02021200402	रामपाठी अमतर
3	कांगड़ा	रैत	02021713102	रामपाठी करेरी खास
4	कुल्लु	कुल्लु-1	02040303806	रामपाठी नगोटठी
5	कुल्लु	बंजार	02040401411	रामपाठी नाहिन
6	कुल्लु	बंजार	02040402804	रामपाठी कनौन
7	मंडी	चच्योट-1	02050701502	रामपाठी पीपला गलू
8	मंडी	चच्योट-2	02050804602	रामपाठी रेउनसी
9	मंडी	सेराज-2	02051001201	रामपाठी खाओली
10	मंडी	सेराज-2	02051001601	रामपाठी सरली
11	सिरमौर	ददाहू	02100203002	रामपाठी मोथू
12	सिरमौर	नाहन	02100301602	रामपाठी मंदलाहन
13	सिरमौर	नाहन	02100303604	रामपाठी धौन
14	सिरमौर	राजगढ़	02100601603	रामपाठी डिब्बर
15	सिरमौर	राजगढ़	02100603702	रामपाठी कोटला मंगन
16	सिरमौर	शिलाई	02100900805	रामपाठी बैला
17	सिरमौर	सुरला	02101004302	रामपाठी सलानी कोटला
18	सिरमौर	सुरला	02101004602	रामपाठी नंगल सुकेती
19	सिरमौर	नारग	02101200602	रामपाठी कोटला पंजौला
20	सोलन	कुठार	02090201901	रामपाठी शिल्ली
21	सोलन	रामशहर	02090702101	रामपाठी बियुंखड़ी
22	ऊना	बंगाणा	02070608402	रामपाठी बलौली

राज्य सरकार ने वर्ष 2011-12 में 58 स्कूलों को स्तरोन्नत करने की अधिसूचना जारी की और उन्हें कार्यान्वित किया। इनमें से 22 स्कूल रामपाठीओं के अन्तर्गत की गई स्कूल मैपिंग से न्यायसंगत है जिसकी सूची भारत सरकार को दी जा चुकी है।

क्र०सं०	जिला	विधानसभा क्षेत्र	राजकीय उच्च पाठशाला
1	कांगड़ा	नगरोटा बागवां	जंदडाह
2	कांगड़ा	नगरोटा बागवां	पलाह चकलू
3	कुल्लु	आनी	लदागी
4	कुल्लु	बंजार	ठेला
5	सिरमौर	नाहन	चनल माजरा
6	बिलासपुर	गेहड़वीं	मलांगन
7	बिलासपुर	गेहड़वीं	गंगलोह
8	सिरमौर	पौटा दून	रामपुर घाट
9	सिरमौर	पौटा दून	मुगलवाला

10	सिरमौर	नाहन	धौन
11	सिरमौर	रेनुका	देवनठंगा
12	सोलन	नालागढ़	बरीया
13	सोलन	दून	मंनलोग कलां
14	कुल्लू	बंजार	कनौण
15	कुल्लू	बंजार	सरी
16	कुल्लू	बंजार	हिरब
17	मंडी	सुन्दरनगर	घंगनू
18	ऊना	कुटलैहड़	लमलैहड़ी
19	ऊना	ऊना	लोअर बसल
20	चंबा	भटियात	भराड़ी
21	हमीरपुर	हमीरपुर	खिया
22	हमीरपुर	बमसन	ठटवानी

2. निर्माण कार्य

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अधिकतर भवन निर्माण सम्बन्धी कार्यों का वित्तीय एवं भौतिक आकार बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें भौतिक व वित्तीय उपलब्धता अधिक मात्रा में शामिल है। इसलिए केन्द्र सरकार के दिशा- निर्देशानुसार भवन निर्माण कार्य स्कूल की भवन कमेटी द्वारा और किसी विशेष भवन निर्माण सम्बन्धी संस्था से कराया जाना ही अपेक्षित है। लेकिन पहला विकल्प स्कूल प्रबन्धक कमेटी से निर्माण करवाना व्यावहारिक दृष्टि से संभव नहीं है क्योंकि इसमें 10 से 15 लाख की राशि शामिल हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत नए कार्यों की राशि इससे भी अधिक है अतः स्कूल प्रबन्धन कमेटी से या कार्य करवाना संभव नहीं है। लेकिन छोटे मुरम्मत कार्य या 1-2 कक्षों का कार्य स्कूल प्रबन्धन कमेटी को दिया जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए राज्य सरकार ने रा०मा०शि०अ० के तहत निर्माण कार्य योग्यता के आधार पर इस कार्य में शामिल कई संस्थाओं जैसे उपक्रम हिमुडा एवं केन्द्र सरकार के उपक्रम बीएसएनएल को ही इन कार्यों को आबंटित किया गया है। कुछ स्थानों पर देरी का मुख्य कारण उपयुक्त भूमि उपलब्ध न होना है जिसके लिए वन विभाग एवं राजस्व विभाग से भूमि हस्तांतरण प्रक्रिया में अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों से अनुमति प्राप्त करनी होती है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत नए स्कूल के भवनों का निर्माण:

अनुभाग-1 (50 तक छात्र संख्या वाले) (राशि लाख में)

क्र०सं०	विवरण	संख्या	बजट विवरण
---------	-------	--------	-----------

1	कक्षा-कक्ष	2	11.26
2	विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण	1	7.10
3	मुख्याध्यापक कक्ष	1	5.00
4	कम्प्यूटर कक्ष	1	5.00
5	कार्यालय	1	5.00
6	आर्ट एण्ड क्राफट कक्ष	1	5.00
7	पुस्तकालय	1	7.00
8	लड़कों व लड़कियों के लिए अलग से शौचालय व पेयजल सुविधा	1	1.50
कुल		9	46.86

अनुभाग-2 (50 तक छात्र संख्या वाले) (राशि लाख में)

क्र०सं०	विवरण	संख्या	बजट विवरण
1	कक्षाकक्ष	4	22.52
2	विज्ञान प्रयोगशाला एवं उपकरण	1	7.10
3	मुख्याध्यापक कक्ष	1	5.00
4	कम्प्यूटर कक्ष	1	5.00
5	कार्यालय	1	5.00
6	आर्ट एण्ड क्राफट कक्ष	1	5.00
7	पुस्तकालय	1	7.00
8	लड़कों व लड़कियों के लिए अलग से शौचालय व पेयजल सुविधा	1	1.50
कुल		11	58.12

- वर्ष 2011-12 में ही प्रदेश के सभी उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में से 320 विद्यालयों के ढाँचे को सुदृढ़/सशक्त रूप प्रदान करने के लिए केन्द्र से स्वीकृति प्राप्त हुई है। इन विद्यालयों में अतिरिक्त कक्षा-कक्ष, लाइब्रेरी कक्ष, विज्ञान प्रयोगशाला, आर्ट क्राफट कक्ष, तथा कम्प्यूटर कक्ष सुविधा इत्यादि का निर्माण किया जाना है, लेकिन वर्ष 2011-12 में भारत सरकार द्वारा 320 स्कूलों के ढाँचे को सशस्त करने के लिए प्रदान की जाने वाली राशि की किश्त अभी तक जारी नहीं की है।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विद्यालयों के ढाँचे को सुदृढ़/सशक्त रूप प्रदान करने हेतु चयनित 320 उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों की सूची।

क्र०सं०	जिला	खण्ड	स्कूल का नाम
1	चम्बा	बनीखेत	रावोमापा० मैल

2	चम्बा	भरमौर	राव०मा०पा० खनी
3	चम्बा	चम्बा	राव०मा०पा० चनेड
4	चम्बा	चुवाडी	राव०मा०पा० रायपुर
5	चम्बा	चुवाडी	राव०मा०पा० साहला
6	चम्बा	गरोला	राव०मा०पा० होली
7	चम्बा	क्यानी	राव०मा०पा० किआनी
8	चम्बा	क्यानी	राव०मा०पा० सिरकुंड
9	चम्बा	क्यानी	राव०मा०पा० चकलू
10	चम्बा	मेहला	राव०मा०पा० मैहला
11	चम्बा	मेहला	राव०मा०पा० बकनी
12	चम्बा	मेहला	राव०मा०पा० सुनारा
13	चम्बा	मेहला	राव०मा०पा० घुवान
14	चम्बा	सिहुन्ता	राव०मा०पा० हाटली
15	चम्बा	सुन्डला	राउ०पा० लिग्गा
16	चम्बा	सुन्डला	राव०मा०पा० बग्गी
17	चम्बा	सुन्डला	राव०मा०पा० भलेर्इ
18	चम्बा	सुन्डला	राव०मा०पा० सुन्डला
19	चम्बा	सुन्डला	राव०मा०पा० टिकरु
20	चम्बा	तीसा	राव०मा०पा० जसूरगढी
21	चम्बा	तीसा	राव०मा०पा० छान्जू
22	कांगडा	बैजनाथ	राव०मा०पा० कुनसल
23	कांगडा	भवारना	राव०मा०पा० अतयालादेयी
24	कांगडा	भवारना	राव०मा०पा० भवारना
25	कांगडा	चडयार	राव०मा०पा० चडीयार
26	कांगडा	डाडासीबा	राव०मा०पा० भादल थोर
27	कांगडा	डाडासीबा	राउ०पा० बेहिन
28	कांगडा	डाडासीबा	राव०मा०पा० डलियारा
29	कांगडा	डाडासीबा	राव०मा०पा० कोटला बेहर
30	कांगडा	डाडासीबा	राव०मा०पा० सियुल
31	कांगडा	डाडासीबा	राव०मा०पा० बाथु टिप्परी
32	कांगडा	देहरा	राव०मा०पा० ज्वालामुखी
33	कांगडा	देहरा	राव०मा०पा० खुण्डियाँ
34	कांगडा	धर्मशाला	राव०मा०पा० दाढ़ी
35	कांगडा	धर्मशाला	राव०मा०पा० घनियारा
36	कांगडा	धर्मशाला	राव०मा०पा० तंगनरवाना

37	कांगडा	धर्मशाला	रा०उ०पा० जदरंगल
38	कांगडा	फतेहपुर	रा०उ०पा० रेहाना
39	कांगडा	फतेहपुर	रा०व०मा०पा० री
40	कांगडा	फतेहपुर	रा०व०मा०पा० धमेटा
41	कांगडा	इन्दौरा	रा०व०मा०पा० इंदौरा
42	कांगडा	इन्दौरा	रा०व०मा०पा० कंडवाल
43	कांगडा	इन्दौरा	रा०व०मा०पा० पारल
44	कांगडा	इन्दौरा	रा०व०मा०पा० टटवाली
45	कांगडा	ज्वाली	रा०व०मा०पा० हरसर
46	कांगडा	कांगडा	रा०व०मा०पा० कचयारी
47	कांगडा	कांगडा	रा०व०मा०पा० राजल
48	कांगडा	कांगडा	रा०व०मा०पा० जमनाबाद
49	कांगडा	कांगडा	रा०व०मा०पा० सलोल
50	कांगडा	लम्बा गाँव	रा०व०मा०पा० कोसरी
51	कांगडा	लम्बा गाँव	रा०व०मा०पा० लाहडू
52	कांगडा	लम्बा गाँव	रा०उ०पा० अपर लम्बा गाँव
53	कांगडा	नगरोटा बगवां	रा०व०मा०पा० अरला
54	कांगडा	नगरोटा बगवां	रा०व०मा०पा० धलून
55	कांगडा	नगरोटा बगवां	रा०उ०पा० हटवास
56	कांगडा	नगरोटा बगवां	रा०व०मा०पा० सेरा थाना
57	कांगडा	नगरोटा सुरिया	रा०व०मा०पा० अमलेला
58	कांगडा	नगरोटा सुरिया	रा०व०मा०पा० ब्रीयाल
59	कांगडा	नगरोटा सुरिया	रा०उ०पा० गुलेर
60	कांगडा	नूरपुर	रा०व०मा०पा० भाली
61	कांगडा	नूरपुर	रा०व०मा०पा० जसूर
62	कांगडा	नूरपुर	रा०उ०पा० कोट पलाहरी
63	कांगडा	नूरपुर	रा०उ०पा० कुखेड़
64	कांगडा	नूरपुर	रा०व०मा०पा० (बाल) नूरपुर
65	कांगडा	नूरपुर	रा०उ०पा० जाच
66	कांगडा	पालमपुर	रा०व०मा०पा० बल्ह
67	कांगडा	पालमपुर	रा०व०मा०पा० परोर
68	कांगडा	पंचरुखी	रा०उ०पा० अन्दरेटा
69	कांगडा	पंचरुखी	रा०व०मा०पा० पेहरा
70	कांगडा	रैत	रा०व०मा०पा० बोह
71	कांगडा	रैत	रा०व०मा०पा० चडी

72	कांगडा	राजा का तालाब	रा०व०मा०पा० गंगथ
73	कांगडा	राजा का तालाब	रा०व०मा०पा० मिन्जग्राम
74	कांगडा	रक्कड़	रा०व०मा०पा० गरली(कन्या)
75	कांगडा	रक्कड़	रा०व०मा०पा० गगरही
76	लाहौल-स्पिति	केलांग-1	रा०व०मा०पा० सिसु
77	लाहौल-स्पिति	उदयपुर	रा०व०मा०पा० टिंगरेट
78	कुल्लू	नगर	लाल चंद प्रार्थी समारक रा०व०मा०पा० नगर
79	कुल्लू	कुल्लू-1	रा०उ०पा०खलोगी
80	कुल्लू	कुल्लू-1	रा०उ०पा०शाह
81	कुल्लू	कुल्लू-1	रा०व०मा०पा० मणिकरन
82	कुल्लू	कुल्लू-1	रा०व०मा०पा० गडसा
83	कुल्लू	कुल्लू-1	रा०उ०पा०बरेही
84	कुल्लू	बंजार	रा०व०मा०पा० पुजाली
85	कुल्लू	बंजार	रा०व०मा०पा०जिब्बी
86	कुल्लू	बंजार	रा०व०मा०पा० बंजार
87	कुल्लू	बंजार	रा०व०मा०पा० थाटी भीड़
88	कुल्लू	आनी	रा०व०मा०पा० कुंगश
89	कुल्लू	निरमंड	रा०व०मा०पा० दियोगी
90	मंडी	सदर-1	रा०उ०पा०बानदल
91	मंडी	सदर-1	रा०व०मा०पा० पनारसा
92	मंडी	सदर-1	रा०व०मा०पा० ननवान
93	मंडी	सदर-2	रा०व०मा०पा० घरां
94	मंडी	सदर-2	रा०व०मा०पा० बालु
95	मंडी	सुन्दर नगर-1	रा०व०मा०पा० जडोल
96	मंडी	सुन्दर नगर-1	रा०व०मा०पा० सलवाला
97	मंडी	सुन्दर नगर-1	रा०व०मा०पा० सलापड
98	मंडी	सुन्दर नगर-1	रा०उ०पा० कलोड
99	मंडी	सुन्दर नगर-2	रा०व०मा०पा० फंगवास
100	मंडी	सुन्दर नगर-2	रा०उ०पा० पुराकोठी
101	मंडी	साइगलू	रा०उ०पा० बगी तुंगल
102	मंडी	साइगलू	रा०व०मा०पा० कोट तुंगल
103	मंडी	साइगलू	शहीद सुबेदार खेम चंद रा०व०मा०पा० साइगलू
104	मंडी	साइगलू	रा०व०मा०पा० बिर तुंगल

111	ਮੰਡੀ	ਬਲਹ	ਰਾਤਾਪਾਂ ਮੂਨਕਸ
-----	------	-----	---------------

105	ਮੰਡੀ	ਸਾਇਗਲੂ	ਰਾਵਮਾਪਾਂ ਕਰਕੋਹ
106	ਮੰਡੀ	ਸਾਇਗਲੂ	ਰਾਵਮਾਪਾਂ ਰਨਧਾਡਾ
107	ਮੰਡੀ	ਸਾਇਗਲੂ	ਰਾਵਮਾਪਾਂ ਗੋਖਰਾ
108	ਮੰਡੀ	ਬਲਹ	ਰਾਵਮਾਪਾਂ ਭੰਗਰੋਟੂ
109	ਮੰਡੀ	ਬਲਹ	ਰਾਤਾਪਾਂ ਬਗਲਾ
110	ਮੰਡੀ	ਬਲਹ	ਰਾਤਾਪਾਂ ਸਥਾਨਜੀ

112	मंडी	चच्योट-1	रा०उ०पा० तरोर
113	मंडी	चच्योट-1	रा०व०मा०पा० क्योली धार
114	मंडी	चच्योट-1	रा०व०मा०पा० बगसेड
115	मंडी	चच्योट-1	रा०उ०पा० शाला
116	मंडी	सिराज-1	रा०उ०पा० शिवा कुठैड
117	मंडी	सिराज-1	रा०व०मा०पा० चिउनी
118	मंडी	सिराज-2	रा०व०मा०पा० घाट
119	मंडी	सिराज-2	रा०व०मा०पा० बी०सी० थाच
120	मंडी	द्ररंग-1	रा०व०मा०पा० गुम्मा
121	मंडी	द्ररंग-1	रा०व०मा०पा० बस्सी
122	मंडी	द्ररंग-1	रा०व०मा०पा० टिकरू
123	मंडी	द्ररंग-2	रा०व०मा०पा० बथेडी
124	मंडी	द्ररंग-2	रा०व०मा०पा० कुफरी
125	मंडी	द्ररंग-2	रा०व०मा०पा० रोपा
126	मंडी	चौन्तड़ा-1	रा०व०मा०पा० लांगना
127	मंडी	चौन्तड़ा-1	रा०व०मा०पा० दखबल
128	मंडी	करसोग-1	रा०उ०पा० कुन्हू
129	मंडी	करसोग-1	रा०व०मा०पा० शंकर देह
130	मंडी	करसोग-2	रा०उ०पा० बखरोट
131	मंडी	करसोग-2	रा०उ०पा० जस्सल
132	मंडी	गोपाल पुर-1	रा०व०मा०पा० गोपालपुर
133	मंडी	गोपाल पुर-1	रा०व०मा०पा० छंदेश
134	मंडी	गोपाल पुर-1	रा०व०मा०पा० भद्रेवार
135	मंडी	गोपाल पुर-1	रा०व०मा०पा० सरकाघाट
136	मंडी	गोपाल पुर-2	रा०व०मा०पा० चौक
137	मंडी	धर्मपुर-2	रा०व०मा०पा० हिउन पैड
138	हमीरपुर	सुजानपुर	रा०व०मा०पा० ककड
139	हमीरपुर	सुजानपुर	रा०व०मा०पा० चौडी
140	हमीरपुर	सुजानपुर	रा०व०मा०पा० पतलान्दर
141	हमीरपुर	सुजानपुर	रा०व०मा०पा० चबुतरा
142	हमीरपुर	भोरंज	रा०व०मा०पा० खरवाड
143	हमीरपुर	भोरंज	रा०उ०पा० बडेहर
144	हमीरपुर	भोरंज	
145	हमीरपुर	भोरंज	रा०व०मा०पा० जाहु
146	हमीरपुर	भोरंज	एल०एम० रा०व०मा०पा० परोल

147	हमीरपुर	भोरंज	रा०व०मा०पा० बहानवी
148	हमीरपुर	भोरंज	रा०व०मा०पा० पट्टा
149	हमीरपुर	भोरंज	रा०उ०पा० लुद्दर महादेव
150	हमीरपुर	भोरंज	रा०व०मा०पा० ताल
151	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० बतरान
152	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० सेरा
153	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० अमलेहर
154	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० कश्मीर
155	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० बदारन
156	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० लोअर हडेटा
157	हमीरपुर	नादोन	आर०जी०एम० रा०व०मा०पा० रैल
158	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० नदोन(बाल)
159	हमीरपुर	नादोन	रा०व०मा०पा० नदोन(बाहलका)
160	हमीरपुर	बिझडी	रा०व०मा०पा० ग्यारह ग्रन
161	हमीरपुर	बिझडी	रा०उ०पा० बडसर
162	हमीरपुर	बिझडी	रा०व०मा०पा० रैली जाजरी
163	हमीरपुर	बिझडी	रा०उ०पा० कैरैर
164	हमीरपुर	बिझडी	रा०व०मा०पा० टिप्पर
165	हमीरपुर	बिझडी	रा०व०मा०पा० घंगोट
166	हमीरपुर	टोनी देवी	रा०व०मा०पा० बडानी
167	हमीरपुर	टोनी देवी	रा०व०मा०पा० टोनी देवी
168	ऊना	ऊना-1	रा०व०मा०पा० हरोली
169	ऊना	ऊना-1	रा०व०मा०पा० बथरी
170	ऊना	ऊना-1	रा०उ०पा०नंगल कलान
171	ऊना	ऊना-1	रा०व०मा०पा० पुबोल
172	ऊना	ऊना-1	रा०व०मा०पा० रोरा
173	ऊना	ऊना-1	रा०व०मा०पा० बडेरा
174	ऊना	ऊना-2	रा०व०मा०पा० संतोशगढ़(बाल)
175	ऊना	ऊना-2	रा०व०मा०पा० टका
176	ऊना	ऊना-2	रा०व०मा०पा० ननग्रां
177	ऊना	गगरेट-1	रा०व०मा०पा० पंडोगा
178	ऊना	गगरेट-1	रा०व०मा०पा० पंजवार
179	ऊना	गगरेट-1	रा०व०मा०पा० संगनाई
180	ऊना	गगरेट-1	रा०व०मा०पा०कलोह
181	ऊना	गगरेट-1	पं०एम०एल०दत्तस०

			रा०व०मा०पा० खड्
182	ऊना	गगरेट-2	रा०उ०पा० कुनेरां
183	ऊना	गगरेट-2	रा०व०मा०पा० गोदंपुर
184	ऊना	गगरेट-2	रा०व०मा०पा० बदरकाली
185	ऊना	अम्ब	रा०व०मा०पा० कुरेला
186	ऊना	अम्ब	रा०व०मा०पा० सलोई
187	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० मान्दली
188	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० थानाकलां
189	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० बॉल
190	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० अमबेहरा
191	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० बंगाणा
192	ऊना	बंगाणा	रा०व०मा०पा० लठीयानी
193	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० बरमाणा
194	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० रानी कोटला
195	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० रघुनाथपुरा
196	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० कोठीपुरा
197	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० दियोथ
198	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० सोलदाह
199	बिलासपुर	सदर	रा०व०मा०पा० सुईन सरहार
200	बिलासपुर	स्वारघाट	रा०व०मा०पा० तरसु
201	बिलासपुर	स्वारघाट	रा०व०मा०पा० बस्सी
202	बिलासपुर	स्वारघाट	रा०व०मा०पा० तमबोल
203	बिलासपुर	झण्डूता	रा०व०मा०पा० जजर्वीं
204	बिलासपुर	झण्डूता	रा०व०मा०पा० नखलेरा
205	बिलासपुर	झण्डूता	रा०व०मा०पा० घरां
206	बिलासपुर	झण्डूता	रा०व०मा०पा० कोसेरियां
207	बिलासपुर	घुमारवीं-1	रा०व०मा०पा० कोट
208	बिलासपुर	घुमारवीं-1	रा०व०मा०पा० कुथेडा
209	बिलासपुर	घुमारवीं-1	रा०व०मा०पा० मोरसिंगी
210	बिलासपुर	घुमारवीं-1	रा०उ०पा० कठलग
211	बिलासपुर	घुमारवीं-1	रा०उ०पा० छयाट
212	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०व०मा०पा० ख्वालमुथानी
213	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०व०मा०पा० हवान
214	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०व०मा०पा० तलयाना
215	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०उ०पा० कोठी

216	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०उ०पा० अमरपुर
217	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०उ०पा० पनोह
218	बिलासपुर	घुमारवीं-2	रा०उ०पा० समोह
219	सोलन	धर्मपुर	रा०व०मा०पा० छमिया
220	सोलन	धर्मपुर	रा०उ०पा० सनावर
221	सोलन	धर्मपुर	रा०उ०पा० डगशाई
222	सोलन	धर्मपुर	रा०व०मा०पा० कंडा
223	सोलन	धर्मपुर	रा०व०मा०पा० राजरी जबली
224	सोलन	कंडाघाट	रा०व०मा०पा० चैल
225	सोलन	कंडाघाट	रा०व०मा०पा० कलहोग
226	सोलन	कंडाघाट	रा०उ०पा० शमरोड
227	सोलन	कंडाघाट	रा०व०मा०पा० ओचगाढ़
228	सोलन	कंडाघाट	रा०व०मा०पा० सलोगडा
229	सोलन	नालागढ़	रा०व०मा०पा० नालागढ़
230	सोलन	नालागढ़	रा०व०मा०पा० जगोहन
231	सोलन	नालागढ़	रा०उ०पा० राजपुरा
232	सोलन	अर्का॒	रा०व०मा०पा० भूमति
233	सोलन	अर्का॒	रा०व०मा०पा० चंडी (ए)
234	सोलन	राम शहर	रा०व०मा०पा० गूलेरवाला
235	सोलन	राम शहर	रा०व०मा०पा० मंजोली
236	सोलन	राम शहर	रा०व०मा०पा० सौर
237	सोलन	राम शहर	रा०व०मा०पा० रामशहर
238	सोलन	राम शहर	रा०व०मा०पा० छम्डार
239	सिरमौर	बकरास	रा०उ०पा० भटगढ़
240	सिरमौर	नहन	रा०व०मा०पा० जामता
241	सिरमौर	नौराधार	रा०व०मा०पा० लाना चेता
242	सिरमौर	नौराधार	रा०व०मा०पा० भवानी
243	सिरमौर	पौंटासाहिब	रा०व०मा०पा० निहालगढ़
244	सिरमौर	पौंटासाहिब	रा०व०मा०पा० हरीपूरखोल
245	सिरमौर	पौंटासाहिब	रा०व०मा०पा० कोलर
246	सिरमौर	राजगढ़	रा०व०मा०पा० फागू
247	सिरमौर	सराहन	रा०व०मा०पा० कलोह
248	सिरमौर	सराहन	रा०व०मा०पा० जैहर
249	सिरमौर	सराहन	रा०व०मा०पा० वासनी
250	सिरमौर	सतौन	रा०व०मा०पा० सतौन

251	सिरमौर	सतौन	रा०व०मा०पा० जामना
252	सिरमौर	सतौन	रा०व०मा०पा० किलौर
253	सिरमौर	शिलाई	रा०उ०पा० टिम्बी
254	सिरमौर	शिलाई	रा०व०मा०पा० दरबील
255	सिरमौर	शिलाई	रा०व०मा०पा० कोठी बौन्च
256	सिरमौर	सुरला	रा०व०मा०पा० बरमा पापरी
257	सिरमौर	सुरला	रा०उ०पा० सनवाला
258	शिमला	छौआरा	रा०व०मा०पा० क्लोटी
259	शिमला	चैपाल	रा०व०मा०पा० सरी
260	शिमला	देहा	रा०व०मा०पा० घूंड
261	शिमला	जुब्बल	रा०व०मा०पा० सोलंग
262	शिमला	जुब्बल	रा०व०मा०पा० पंदरानु
263	शिमला	जुब्बल	रा०व०मा०पा० सरस्वती नगर
264	शिमला	जुब्बल	रा०क०उ०वि० जुब्बल
265	शिमला	जुब्बल	रा०व०मा०पा० मंढोल
266	शिमला	कसुम्पटी	रा०व०मा०पा० बियुलिया
267	शिमला	कोटखाई	रा०व०मा०पा० महासु
268	शिमला	कोटखाई	रा०व०मा०पा० जौनी
269	शिमला	कोटखाई	रा०क०व०मा०पा० कोटखाई
270	शिमला	कोटखाई	रा०व०मा०पा० क्यारी
271	शिमला	कुमारसैन	रा०व०मा०पा० भुट्टी
272	शिमला	कुमारसैन	रा०व०मा०पा० मलेंडी
273	शिमला	कुमारसैन	रा०व०मा०पा० शिवान
274	शिमला	कुमारसैन	रा०व०मा०पा० कांगल
275	शिमला	कुमारसैन	रा०उ०पा० गलानी
276	शिमला	कुमारसैन	रा०व०मा०पा० खनेटी सधोच
277	शिमला	मशोबरा	रा०व०मा०पा० कुफरी
278	शिमला	मशोबरा	रा०उ०पा० जनेढ़घाट
279	शिमला	मशोबरा	रा०व०मा०पा० पीरन
280	शिमला	मशोबरा	रा०व०मा०पा० कोटी
281	शिमला	मतियाना	रा०उ०पा० कोट-शिलारु
282	शिमला	मतियाना	रा०व०मा०पा० गडाकुफरी
283	शिमला	मतियाना	रा०व०मा०पा० क्यारा
284	शिमला	ननखरी	रा०व०मा०पा० बगल्ती
285	शिमला	ननखरी	रा०व०मा०पा० बड़ाच

286	शिमला	ननखरी	राव०मा०पा० शोली
287	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० शिल्ला
288	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० मनौटी
289	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० टिक्करी (नेवल)
290	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० कैरी
291	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० मौर
292	शिमला	नेरवा	राव०मा०पा० रुसलाह
293	शिमला	रामपूर	राव०मा०पा० नोगली
294	शिमला	रामपूर	राव०मा०पा० दत्तनगर
295	शिमला	रामपूर	राव०मा०पा० डान्सा
296	शिमला	रामपूर	राव०मा०पा० नरैण
297	शिमला	रोहडू	राउ०पा० सीमा
298	शिमला	शिमला-4	राउ०पा० शामलाघाट
299	शिमला	सुन्नी	राव०मा०पा० खटनोल
300	शिमला	सुन्नी	राव०मा०पा० दाङुगी
301	शिमला	सुन्नी	राव०मा०पा० पाहल
302	शिमला	सुन्नी	राव०मा०पा० करयाली
303	शिमला	सुन्नी	राव०मा०पा० चलाल(थाची)
304	शिमला	ठियोग	राव०मा०पा० सैंज
305	शिमला	ठियोग	राउ०पा० धमान्दरी
306	शिमला	ठियोग	राव०मा०पा० चेवग
307	शिमला	कुपवी	राव०मा०पा० गौँठ
308	शिमला	सराहन	राव०मा०पा० धार गौरा
309	शिमला	टिक्कर	राव०मा०पा० पुजारली-4
310	शिमला	टिक्कर	राउ०पा० बडशाल
311	शिमला	टिक्कर	राव०मा०पा० पुजारली
312	शिमला	टिक्कर	राव०मा०पा० मेलठी
313	शिमला	टिक्कर	राव०मा०पा० टिक्कर
314	किनौर	निचार	राउ०पा० पानवी
315	किनौर	निचार	राउ०पा० नाथपा
316	किनौर	कल्पा	राउ०पा० बटसेरी
317	किनौर	कल्पा	राव०मा०पा० सापनी
318	किनौर	पूह	राउ०पा० लियो
319	किनौर	पूह	राउ०पा० नाको
320	किनौर	पूह	राव०मा०पा० चांगो

3. अध्यापक प्रशिक्षण

राज्य में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सेवारत अध्यापकों को प्रशिक्षण डाईटों के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। राज्य स्तर पर तीन विषयों (गणित, विज्ञान, अंग्रेजी) में मास्टर ट्रेनर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की सहायता से तैयार किये गये हैं। ये मास्टर ट्रेनर जिलों में अन्य अध्यापकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं। सभी अध्यापकों के लिए प्रशिक्षण के दौरान कम्प्यूटर प्रशिक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। जिला स्तर पर अन्य विषयों जैसे कि सामाजिक विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, शारीरिक शिक्षा, कला के मॉड्यूल बनाए गए हैं तथा उन्हीं के अनुसार अध्यापकों को डाईटों के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

अध्यापक प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए राज्य परियोजना कार्यालय ने गणित एवं विज्ञान विषय में मास्टर ट्रेनर का एक वर्ग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हमीरपुर की सहायता से तैयार किया है।

विद्यालय के अध्यापकों की सहायता से माध्यमिक कक्षाओं के गणित, विज्ञान एवं अंग्रेजी विषय में न्यूनतम स्तर की दक्षताओं की पहचान की गई है।

राज्य परियोजना कार्यालय में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत अध्यापक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एससीईआरटी (SCERT) और सिमेट (SIEMAT) को भी सहयोगी बनाया गया है। एससीईआरटी को माध्यमिक कक्षाओं के बच्चों का उपलब्धि स्तर जांचने के लिए बेस लाईन सर्वे का कार्य आंबिटित किया गया है। साथ ही बच्चों के लिए रोज़गारपरक योजना बनाने तथा उनके मार्गदर्शन एवं परामर्श हेतु गाइड बुक तैयार करने का कार्य प्रस्तावित है।

राज्य के सभी सरकारी स्कूलों (उच्च एवं वरिष्ठ माध्यमिक) के मुख्य अध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों के लिए राज्य परियोजना निदेशालय में पांच दिन का विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत उन्हें पैडागोजी, मुफ्त एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, स्कूल प्रबन्धन, प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तीय लेखा-जोखा, स्कूल प्रबन्धन समितियों के कार्य-कलाप, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, विद्यालय विकास योजना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, स्कूल नेतृत्व, पीएमआईएस (PMIS), सूचना प्रौद्योगिकी (ICT) के सम्बन्ध में विशेष जानकारी प्रदान की जा रही है।

4. समावेशित शिक्षा

समावेशित शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2011.12 में केन्द्र सरकार के परियोजना अनुमोदन बोर्ड ने 3,24,66,158 रु नौवीं से 10+2 कक्षा तक के बच्चों की शिक्षा के लिए मंजूर किए।

5. अनुसंधान और मूल्यांकन

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रदेश के 3 जिलों शिमला, सोलन, बिलासपुर के 50 माध्यमिक पाठशालाओं (on Pilot basis) की 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सतत् समग्र

मूल्यांकन के लिए चयन प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत प्रारम्भ में चयनित विद्यालयों के मुख्याध्यापक एवं प्रधानाचार्यों को सतत् समग्र मूल्यांकन के बारे में प्रशिक्षण दिया जाएगा। हिन्दी, अंग्रेजी, गणित एवं विज्ञान विषयों में न्यूनतम स्तर की दक्षताओं की पहचान विद्यालय के अध्यापकों एवं विशेषज्ञों के सहयोग से की जाएगी। इस हेतु अनेक जांच बिन्दुओं को विकसित किया जाएगा जिन्हें विद्यालय स्तर पर जांचा जाएगा। वर्ष के अन्त में बच्चों के बेस लाइन मूल्यांकन का तुलनात्मक विश्लेषण अन्तिम मूल्यांकन से किया जाएगा जिससे बच्चों की शैक्षणिक प्रगति जांची जाएगी। नवमी व दसवीं कक्षा के बच्चों का बेसलाईन अचीवमैट सर्वे अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में सभी जिलों में अलग से एस.सी.ई.आर.टी के माध्यम से करवाया गया।

6. लिंग विशिष्ट गतिविधियां

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जितने भी क्रिया कलाप चलाए जा रहे हैं उनमें ज़ैंडर प्रोसप्रेक्टिव का विशेष ध्यान रखा गया है। ज़ैंडर इनटरवेंशन के तहत निम्नलिखित गतिविधियां चलाई जा रही हैं-

- स्कूल प्रबन्धन समितियों को बालिका शिक्षा के प्रति जागृत किया गया है।
- राज्य में पाँच कन्या छात्रावास खोले गए हैं।
- राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत सामान्य रूप से चले आ रहे कार्यक्रमों जैसे बालिका परामर्श, एनएसएस और एनसीसी कार्यक्रमों में सहयोग दिया जा रहा है।
- सबला कार्यक्रम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से विद्यालय से बाहर रहने वाली बालिकाओं के लिए चलाया जा रहा है।

7. स्कूल प्रबन्धन समितियां एवं सामुदायिक जागरूकता

स्कूल प्रबन्धन समितियां राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत चलाए जाने वाले कार्यक्रमों की मॉनिटिरिंग कर रही है। स्कूल प्रबन्धन समितियों को स्कूलों की देख-रेख के लिए मनोनीत किया गया है और स्कूल कर्मचारी जनसाधारण के प्रति जवाबदेह हैं। स्कूल प्रबन्धन समितियों के सदस्य को उनके कार्य-कलापों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

8. शैक्षिक गुणवत्ता के लिए किये जा रहे अन्य कार्य

- एनसीईआरटी/एससीईआरटी/डाईट/सीमेट/नयूपा/हिप्पा आदि संस्थान राष्ट्रीय एवं प्रदेश स्तर पर सेवारत शिक्षाविदों को शैक्षणिक एवं प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।
- राज्य के सभी स्कूलों में एकटीव लर्निंग विधि से (ALM) पढ़ाया जायेगा।
- बच्चों में जीवन में प्रवीणता लाने और जीवन की कठिनाईयों को सहन कर सकें, 20 अध्यापकों और नवमी व दसवीं कक्षा के 20 बच्चों को पाँच दिनों के लिए हिमाचल प्रदेश

लोक प्रशासन संस्थान में अनाडा संस्था के माध्यम से जीवन प्रवीणता टिप्स दिए गए। इन प्रशिक्षित अध्यापकों की सहायता से प्रदेश में अन्य अध्यापकों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

- सभी खण्ड स्त्रोत केन्द्र समन्वयकों के सक्रिय योगदान से प्रदेश भर के स्कूलों में व्याप्त असमानता को दूर करने के लिए स्कूल मैपिंग की गई है तथा कार्य लगभग समाप्ति पर है। इस अभ्यास से एक स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी कि कहाँ/किस क्षेत्र/स्थान पर स्कूल की स्थापना, अन्य सभी सुविधाओं के साथ की जानी है।
- आधुनिकीकरण/ई-गवर्नेंस तथा विकेन्द्रीकरण जैसे शैक्षिक प्रशासनिक सुधारों के लिए इस वर्ष राज्य परियोजना कार्यालय राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा सभी संस्थान प्रमुखों को परिवर्तन हेतु एजेंट्स के रूप में तैयार करने के लिए नेतृत्व एवं प्रेरणात्मक प्रशिक्षण उपलब्ध करवाने का व्यापक स्तर पर प्रयास किया गया।
- अध्यापक भर्ती, नियुक्ति, मानदेय तथा कैरियर वृद्धि हेतु एक युक्तिसंगत नीति अपनाते हुए अध्यापकों की नियुक्ति की युक्तिकरण प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है तथा यह तार्किक निष्कर्ष पर पहुंचेगी।
- माध्यमिक शिक्षा प्रणाली में सभी स्तरों पर आवश्यक व्यावसायिक एवं शैक्षिक इनपुट का प्रावधान जैसे कि स्कूल स्तर से आगे की ओर ले जाना तथा वित्तीय प्रक्रिया को सुप्रवाही बनाना ताकि फंडस का उपयोग तीव्रता से हो तथा उसका अधिकाधिक उपयोग हो सके।

अध्याय-4

मॉडल स्कूल योजना

हिमाचल प्रदेश में 05 मॉडल स्कूल (04 जिला चम्बा में तथा 01 जिला सिरमौर में) शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े शैक्षिक खण्डों में वर्तमान स्कूलों को स्तरोन्नत करके खोले गये हैं तथा 24-11-2010 से इन्हें कार्यमूलक कर दिया गया है। यह योजना केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित हैं जहां पर ग्रामीण महिला साक्षरता दर 46.13 प्रतिशत से कम तथा लिंग अनुपात 21.59 प्रतिशत से ज्यादा हो। समस्त मॉडल स्कूलों का संचालन केन्द्रीय विद्यालयों की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा होगा तथा इनमें छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक शिक्षण माध्यम अंग्रेजी भाषा रहेगा। इन स्कूलों का विवरण यथा-निम्न है:

क्र०सं०	जिला का नाम	खण्ड का नाम	स्कूल का नाम
1.	चम्बा	तीसा	मिडल स्कूल खुशनगरी
		मैहला	उच्च पाठशाला भरियांकोठी
		सलूणी	उच्च पाठशाला डांड
		पांगी	मिडल स्कूल हिलौर
2.	सिरमौर	शिलाई	उच्च पाठशाला कण्डियारी

मानक व्यय एवं पूंजी प्रवाह-

केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10 के अन्तर्गत अनावर्ती प्रथम किश्त 6.78 करोड़ रुपये तथा राज्य सरकार से 45 लाख रुपये वित वर्ष 2009-10 में प्राप्त हुए थे जिसमें प्रत्येक स्कूल की हिस्सेदारी 1.356 करोड़ रुपये होगी। राज्य सरकार ने वर्ष 2011.12 में पत्र संख्या ई०डी०एन०-एच (4)-3(3) योजना दिनांक 10-05-11 से 15 लाख रु राज्य भाग के लिए दिए।

भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर छठी कक्षा से बारहवीं कक्षा तक प्रत्येक मॉडल स्कूल स्थापित किये जाने हेतु अनुमानित अनावर्ती लागत मु० 3.02 करोड़ रुपये आंकी गई है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा केन्द्रीय हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10 के अन्तर्गत आवर्ती लागत मु० 0.75 करोड़ प्रति वर्ष अनुमानित की गई है।

GIAC (ग्रांट इन एड कमेटी) ने अपनी बैठक में भारत सरकार द्वारा क्षेत्र/स्थान विशेष के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों को अपनाने/लागू करने बारे चाहा है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन भी नियमानुसार मापदण्डों के अनुरूप पहाड़ी एवं दुर्गम क्षेत्रों में आने वाली उच्च लागत के अनुरूप व्यय की आज्ञा देती है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य में मु० 3.62 करोड़ रुपये प्रति विद्यालय (20 प्रतिशत उच्चतर लागत मापदण्डों के अनुसार)

की दर से मु० 18.10 करोड़ रूपये पांच मॉडल स्कूलों को खोले/स्थापित किये जाने की संस्तुति की है। हिमाचल प्रदेश एक विशेष राज्य के अन्तर्गत आता है जिसके लिए केन्द्रीय तथा राज्य हिस्सेदारी प्रतिरूप 90:10 के तहत मु० 16.29 करोड़ एवं 1.81 करोड़ क्रमशः है। इसके तहत पुनः अनुमोदित वित्त लेखा निम्न प्रकार से होगा :-

क्र. सं	अनावर्ती राशि	आवर्ती राशि	केन्द्र अनावर्ती राशि	राज्य अनावर्ती राशि	केन्द्र आवर्ती राशि	राज्य आवर्ती राशि
1.	18.10	3.75	16.29	1.81	3.375	0.375

इस योजना के तहत कुल राशि का तीन प्रतिशत प्रबन्धन, अनुश्रवण, अनुसंधान एवं मूल्यांकन पर व्यय होगा तथा वहन आवर्ती राशि से किया जायेगा।

उपलब्धियां :

राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर प्रस्तावित इन पांच मॉडल स्कूलों के लिए शिक्षक एवं गैर शिक्षक वर्ग के लिए 170 पदों का सृजन अधिसूचना संख्या : शिक्षा- II ग(3)-1/2005 दिनांक 01.06.2010 द्वारा किया जा चुका है। अधिसूचना संख्या : शिक्षा-II ग(3)-1/2005 दिनांक 29.10.2011 के तहत अनुमोदित 2 पद प्रवक्ता/पीजीटी (भूगोल), 3 पद प्रवक्ता/पीजीटी (इतिहास) के स्थान पर 5 पद प्रवक्ता/पीजीटी (वाणिज्य) के स्वीकृत किये हैं। विभाग ने इन स्कूलों में काम चलाने के लिए कुछ शिक्षक एवं गैर शिक्षक प्रतिनियुक्ति आधार पर तैनात किये हैं।

हिमाचल प्रदेश स्कूल ऐजूकेशन सोसाईटी एसएसए/आरएमएसए द्वारा मार्च 2011 में निर्माण ईकाई हिमूडा को 7.24 करोड़ रूपये मॉडल स्कूल भवन बनवाने हेतू जारी किए हैं। इन स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है।

अध्याय-5

बालिका छात्रावास योजना

केन्द्रीय प्रायोजित (90:10) बालिका छात्रावास बनाने की यह योजना हिमाचल प्रदेश में माध्यमिक स्कूलों में शैक्षिक रूप से पिछड़े पाँच ब्लाकों में लागू की जा रही है इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं को माध्यमिक विद्यालयों में बनाए रखना है ताकि विद्यालयों की दूरी, माता-पिता की शिक्षा का खर्च वहन न करने की स्थिति तथा अन्य संबंधित सामाजिक कारकों के कारण बालिकाएं अपना अध्ययन जारी रखने के अवसर से वंचित न रहें। 14 से 18 वर्ष के आयु समूह की कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाओं में अध्ययन कर रही अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अत्यसंख्यक समुदायों तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं इस योजना की लक्षित समूह होगीं।

मुख्य उद्देश्य

1. अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अत्यसंख्यक समुदायों तथा गरीबी रेखा नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की बालिकाएं इस योजना की लक्षित समूह होगीं।
2. समाज के अन्य वर्गों की भान्ति गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान कर उत्थान करना।
3. जातिवाद एवं लिंग भेद अनुपात को समाप्त करना।
4. प्रारम्भिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना।
5. निम्न वर्गों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
6. अनाथ एवं असहाय बालिकाओं को शिक्षा के लिए सुविधा प्रदान करना।
7. आठवीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं को शिक्षा के लिए सुगमतापूर्वक सुविधा प्रदान करना।

चिन्हित छात्रवासों की जिलावार स्थिति

क्र.सं	पाठशाला का नाम	पिछड़े खण्ड का नाम	जिला
1.	रा०व०मा०पा० शिलाई	शिलाई	सिरमौर
2.	रा०व०मा०पा० सॉच	पांगी	चम्बा
3.	रा०व०मा०पा० मैहला	मैहला	चम्बा
4.	रा०व०मा०पा० हिमगिरी	सलूणी	चम्बा
5.	रा०व०मा०पा० तीसा	तीसा	चम्बा

मानक व्यय एवं पूँजी प्रवाह-

केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाँच खण्डों में कन्या छात्रावास बनाने हेतु @ 42.50 लाख रुपये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अनुरूप अनुमोदित किए गए हैं तथा इसमें आवर्ती राशि @ 14.27 लाख रुपये का प्रावधान है।

केन्द्र सरकार द्वारा पहली अनावर्ती राशि 95.62 रुपये राज्य सरकार को प्राप्त हुई जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने 6.37 लाख चालू वित वर्ष के दौरान अनुमोदित किया है।

उपलब्धियां :

प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े खण्डों में पांच छात्रावासों का निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में एस०सी०, एस०टी०, ओ०बी०सी०, अल्पसंख्यक और गरीबी की रेखा से नीचे निर्वाह कर रहे परिवारों की लड़कियों के लिए बहुत ही लाभकारी होंगे। इन छात्रावासों के निर्माण के लिए पर्याप्त भूमि अधिग्रहण का कार्य वन विभाग के साथ प्रगति पर है। बालिका छात्रावास जो कि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला शिलाई में बनना है, का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

पहाड़ी दुर्गम क्षेत्रों एवं कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनजर, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति ने केन्द्र सरकार से प्रति छात्रावास निर्माण दर को @ 66.00 लाख रुपये पुनः अनुमोदित करने का आग्रह किया है।

सोनी एंड रस्तोगी चार्टर्ड एकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखा परीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनाक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तुलन पत्र 31.03.2012 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मुल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा कि गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई है के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2012 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान) वर्ष 31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्वेंतो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला

एस के सोनी
सहकर्ता

दिनांक: 02.02.2013

एम०न०.082576

सोनी एंड रुस्तोगी चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ई०मेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित वर्ष 2011-12 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया ।

- 1) अभिव्यक्तियाँ एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलना पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्त्रोत राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है ।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है ।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं ।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियाँ वर्ष 2011-12 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाती है ।

सोनी एंड रुस्तोगी
चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला

दिनांक: 02.02.2013
सोनी एंड रुस्तोगी चार्टड ऐकाउटैट

एस के सोनी
सहकर्ता

एम०न०.082576
नया निकेतन भवन

एफ०आर० न० 004737एन०
ई०मेल skssonifca@yahoo.com

छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2011-12 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड एकाउंटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला

दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता

एम०न०.082576

सोनी एंड रुस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटै
एफ०आर० न० 004737एन०
ई०मेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

31/3/2012 को समाप्त वर्ष के लिए आर.एम.एस.ए के अधीन उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम: हिमाचल प्रदेश		
क्र. सं.	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	राशि
ए	सहायता अनुदान— भारत सरकार अंश	
	1) संख्या:एफ१-२२ / २०१०-एससीएच.१ दि.29.०३.२०११	12800000.००
	2) संख्या:एफ१-०२ / २०११-एससीएच.१ दि.२२.०९.२०११	95108000.००
	3) संख्या:एफ१-०२ / २०११-एससीएच.१ दि.३०.११.२०१२	17140000.००
	4) संख्या:एफ१-०२ / २०११-एससीएच.१(A) दि.०२.०२.२०१२	73375000.००
	5) संख्या:एफ१-०२ / २०११-एससीएच.१(B) दि.०२.०२.२०१२	24500000.००
	योग	222923000.००
बी	सहायता अनुदान— राज्य सरकार अंश	
	1) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२१.०२.२०१२	3770800.००
	2) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२१.०२.२०१२	514200.००
	3) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२१.०२.२०१२	21532500.००
	4) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(३) योजना(RMSA) २०१०-११ दि ०४.२०११	46351000.००
	5) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२३.०३.२०१२	1428333.००
	6) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२०.०३.२०१२	8156250.००
	7) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२०.०३.२०१२	2936250.००
	8) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२३.११.२०११	7925667.००
	9) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(३) बजट योजना २०१०-११ दि २२.०७.२०११	2086000.००
	10) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(३) योजना(RMSA) २०१०-११ दि २९.०६.२०११	3576000.००
	11) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.०७.१२.२०११	20923760.००
	12) सं०ई०डी०एन०-एच(4)३.(सी) २०१०-११ दि.२०.१२.२०११	2853239.००
	योग	122053999.००
	कुल योग (ए+बी)	344,976,999.००
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	26,20,72,860.५०
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	81,90,957.००
ई	अन्य प्राप्तियां	58,614.००
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	61,52,99,430.५०
	घटाव: खर्च २०११-१२	19,91,15,621.००
	अव्यय शेष	41,61,83,809.५०
प्रस्तुत कर्ता		
	अग्रिमे	29,51,24,783.५०
	शुद्ध अव्यय शेष(रोकड़ एवं बैंक शेष)	21,13,18,241.००
	चालू देनदारियां	9,02,59,215.००
	योग	41,61,83,809.००

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2011-12 के लिए मैंबर संक्रेटरी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के पक्ष में मंजूर किए गए सहायता अनुदान के रूप में 344,976,999.00/- (रुपये चौंतिस करोड उन्चास लाख छिहतर हजार नौ सौ निनानवे मात्र) तथा 2011-12 अवधि के दौरान अर्जित ब्याज की राशि रु 81,90,957.00 (इक्यासी लाख नब्बे हजार नौ सौ सतावन), 58614.00 (अठावन हजार छः सौ चौदह रु.) अन्य आय के रूप में और रु 26,20,72,860.50 (छब्बीस करोड बीस लाख बहतर हजार आठ सौ साठ दशमलव पांच जीरो) पिछले वर्ष की शेष राशि के रूप में अर्जित हुई। जिसमें से 19,91,15,621.00 (उन्नीस करोड इकानवे लाख पन्द्रह हजार छः सौ इक्कीस रुपये) जिस मद के लिए मंजूर हुए थे उपयोग कर लिए गए हैं और 29,51,24,783.50 (कुल उन्नीस करोड इकावन लाख चौबीस हजार सात सौ तिरयासी दशमलब पांच जीरो रुपये) के अग्रिम भुगतान और शेष राशि 21,13,18,241.00 रु 0 (कुल इक्कीस करोड तेरह लाख अटठारह हजार दो सौ इकतालिस रुपये) और इसमें 9,02,59,215.00 रुपये (नौ करोड दो लाख उनसठ हजार दो सौ पन्द्रह रु 0) चालू वित वर्ष की देनदारियां हैं तथा इसके पश्चात खाते में शेष बचे 41,61,83,809.00 (इकतालिस करोड़ इकासठ लाख तिरयासी हजार आठ सौ नौ रु 0 पचास पैसे) रुपये वित वर्ष के अन्त में अगले वर्ष की सहायता अनुदान राशि में समायोजित किये जायेंगे।
2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आप को आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है :
3. अपनाई गई जांच कसौटियां
 - अ. लेखों का लेखा परीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)
 - ब. उपयोगिता प्रमाण पत्र
 - स. प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

हस्ता-

स्थान : शिमला

दिनांक : 02/02/2013

राज्य परियोजना निदेशक

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड एकाउंटेंट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

हिमाचल प्रदेश रक्षण शिक्षा समिति-शास्त्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
राज्य परियोजना कार्यालय लैपोर्टुअलो भवन लालपानी शिमला-171001

समेतित तुलन पत्र (31 मार्च 2012 तक)

पूर्ण वित्तीय वर्ष 2010-11	देयताएँ आरक्षित राशि	चाला (₹०)	चाला वर्ष 2011-12	वित्तीय वर्ष 2010-11	सम्पत्तिया	राशि(₹०)	चालू वर्ष 2011-12
4791905	आरक्षी आमतिं वार्ष के दीयान विविध आय	58614	4791905	136330	फार्मिचर और किरक्षरात सामान	136330	
	अव्यय अनुदान को हस्तांतरित व्याज	58614		4655575	कामयूटर / ऑफिस का यात् समितिया - इण एवं अधिन	4655575	4791905
	आरक्षित शेष	2449566		134159394.5	आग्राम (सलान सूची के अनुसार)	295124783.5	
	जमा वर्ष के दीयान प्रादिन्दिया	8190957					
		10640523		127962182	रोकड़ एवं बैक शेष (सलान सूची के अनुसार)	211318241	
	अव्यय अनुदान को हस्तांतरित	10640523					
	अव्यय अनुदान						
	आरक्षित शेष	259623295					
	जमा वर्ष के दीयान प्रादिन्दिया			604658908			
	केन्द्र सरकार	222923000		199115621			
	राज्य सरकार	122053999		405543287			
	विविध आय	58614		10640523	416183810		
				7482	7215		
259623295	अव्यय अनुदान आय व व्यय का शेष	405543287		90252000			
2449566	जमा व्याज	10640523					
41234	एसोएसएल को देय उच्चालय व प्रारम्भिक शिक्षा निवेशक को देतन सम्बन्धी देय						
266913482	कुल	511234930	266913481.5			511234929.5	

स्थान: शिमला
दिनांक: 02/02/2013

सामी एड कर्सोनी
पार्ट्ड एकाउटेंट
एसो आज नो 00473747-
एस के जोनी साकारा
एमोनो 0625576

हिमाचल प्रदेश स्कूल रिटा समिति-ग्रामीण माध्यमिक रिटा अधिकार
राज्य परियोजना कार्यालय डीपीडीओ भवन लालपानी शिमला-171001
31-03-2012 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय व व्यय लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 2010-11	व्यय	राशि (रु.)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वर्ष 2010-11	आय	राशि	चालू वर्ष 2011-12
44,28,181.00	आवर्ती व्यय	14,95,865.00		23,69,19,012.50	तुलना पत्र से हस्तान्तरित उपयोग किया गया अनुदान		19,91,15,621.00
	पूर्व गतिविधियाँ						
84,232,500.00	वर्षिक स्कूल सहायता अनुदान	2,97,00,620.00		24,02,899.00	प्राप्त व्याज		81,90,957.00
42,733,675.00	छोटी मुम्मत अनुदान	74,85,519.00			विविध आय		58,614.00
4,130,170.50	अद्यापक प्रशिक्षण	88,29,843.00					
3,276,300.00	शैक्षिक भ्रमण	9,13,721.00					
3,074,281.00	एम एम ई आर व्यय	60,18,053.00					
9,02,52,000.00	अद्यापक / स्कूल स्टाफ अनावर्ती खर्च (पूर्व गतिविधियों के अन्तर्गत)	14,46,72,000.00	19,91,15,621.00				
1,36,330.00	फर्मीचन और फिर्कवार						
4,65,575.00	कम्प्यूटर / कार्यालय का सामान						
24,02,899.00	बैंक हाशा व्याज c/f to B.S. विविध आय c/f to B.S.			81,90,957.00 58,614.00			
23,51,32,911.50	कुल (रुपये)	20,73,65,192.00	23,93,21,911.50	कुल (रुपये)	20,73,65,192.00	सानी एड फस्टोरी चार्ट्ड ऐकाउंटेंट	
						एफ० अर० न० ००४७३ एस के सानी फाइलो एम०८०.०८२५७६	

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

विभागात प्रदेश उच्चतम शिक्षा संकाये—गवर्नर मान्यमिक शिक्षा अधिकारी
सांख परियोजना कार्यालय की० मु००५०८० भवन लालचानी शिक्षा—१७१००१
३१-०३-२०१२ तक समाप्त दर्व के लिए सनेकित प्राप्ति और भुगतान लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 2010-11	प्राप्तिया	शाखा (रु०)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वित्तीय वर्ष 2010-11	भुगतान	चालू वर्ष 2011-12
गत रैप					आवर्ती खर्च (व्यय)	
34484489	रोकड और बैंक बपाया	127962182	4428181	पूर्व गतिविधियां	1495865	
	सड़ायरा अनुदान		84232500	स्थल अनुदान	29700620	
84826000	राज्य सरकार से प्राप्ति	122053999	42733675	छोटी सुमात अनुदान	7485519	
3772200000	केन्द्र सरकार से प्राप्ति	222923000	344976999	4130170 अध्यापक प्रशिक्षण	8829843	
2403899	ब्याज से प्राप्ति	8190957	3276300 शैक्षणिक भवन		913721	
	विविध आय	58614	3074281	एम०एस०ईआर० व्यय	6018053	
			90252000	अध्यापक / स्थल स्टाफ का वेतन	54420000	108863621
				अनावर्ती खर्च (पूर्व गतिविधियां के अन्तर्गत)		
				136330 फर्नीचर और फिल्हाल		
				4655575 कम्प्यूटर / कार्यालय का सामान		
				128967674.5 अग्रिम भुगतान में बढ़ोतारी ।	160965389	
				60753 चालू दायेतों में कामी	267	
				3766 जर्त शिक्षा अभियान का देय	41234	
				133824098.5 इति शेष		
				127962182 रोकड और बैंक शेष (संलग्न सूची अनुसार)	211318241	
493913388	कुल (रुपये)	481188752	493913388	कुल (रुपये)	481188752	

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

सोनी पंड रास्ता
स्टार्टल ऐकाउंटर
एफ० आर० न०
एस के सोनी र
एम०न०.०८२५७६

हिंदू धर्म प्रदेश कल्पना सभीति एव राष्ट्रीय पार्श्वीक रिक्ता अधिकारा के उत्तराधि
31.03.2012 के अनुसार लग्ज को अनुसारी

31.03.2012 के अन्तरार लगा हो जाएगी

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति ,वं राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत			
अनुसूची डी			
31.03.2010 तक बैंक में जमा रोकड़ की सूची			
<u>बैंक में रोकड़</u>			
पंजाब नेशनल बैंक			
एस०पी०ओ० खाता सं० 540594			159,728,018.00
एस०पी०ओ० खाता सं० 46332			25,441,096.00
ऊना खाता सं० 32009			523,573.00
शिमला खाता सं० 147947			2,307,318.00
चम्बा खाता सं० 72493			888,166.00
मण्डी खाता सं० 4086876			855,493.00
कुल्लु खाता सं० 5041736			608,389.00
हमीरपुर खाता सं० 9264190			4,427.00
किन्नौर खाता सं० 8243762			575,926.00
हस्तगत चलान और ड्राफ्ट जिला किन्नौर			41,765.00
बिलासपुर खाता सं० 8935448			377,634.00
सोलन खाता सं० 001338			1,263,539.00
कांगड़ा खाता सं० 39941			3,616,284.00
लाहौल और स्पिति खाता सं० 010858			1,957,557.00
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया			
नाहन खाता सं० 307322			450,830.00
हिमाचल प्रदेश कॉपरैटिव बैंक			
इलाहबाद बैंक			
हमीरपुर खाता सं० 50084392010			1,099,827.00
कांगड़ा खाता सं० 5005472037			10,911,465.00
बिलासपुर खाता संख्या 115200			634,937.00
हस्तगत राशि			
लाहौल और स्पिति			137.00
किन्नौर			6,382.00
एस०पी०ओ० शिमला			25,478.00
	कुल		211,318,241.00
अनुसूची ई			
अग्रिम राशि विवरण			
अग्रिम राशि जिला परियोजना अधिकारी बिलासपुर		466,316.00	
हमीरपुर		723,959.00	
चम्बा		523,425.50	

कांगडा		1,966,569.00	
कुल्लु		417,685.00	
लाहौल और स्पिति		77,000.00	
मंडी		2,113,817.00	
शिमला		975,077.00	
सिरमौर		405,029.00	
सोलन		185,839.00	
उना		103,682.00	7,958,398.50
अग्रिम राशि वार्षिक स्कूल अनुदान			
बिलासपुर		6,250,000.00	
किन्नौर		2,407,250.00	
हमीरपुर		6,000,000.00	
चम्बा		7,406,449.00	
कांगडा		634,787.00	
कुल्लु		5,350,000.00	
लाहौल और स्पिति		527,500.00	
मंडी		16,518,795.00	
शिमला		30,400,000.00	
सिरमौर		9,100,000.00	
सोलन		6,295,959.00	
उना		7,700,640.00	98,591,380.00
अग्रिम राशि शैक्षणिक भ्रमण			
चम्बा		439,000.00	
कांगडा		21,176.00	
कुल्लु		21,200.00	
लाहौल और स्पिति		20,600.00	
मंडी		9,700.00	
शिमला		1,032,200.00	
सिरमौर		118,200.00	
उना		133,979.00	1,796,055.00
अग्रिम राशि छोटी मुरम्मत अनुदान			
चम्बा		546,570.00	
कांगडा		153,491.00	
लाहौल और स्पिति		236,250.00	
मंडी		75,544.00	
शिमला		7,425,000.00	

सिरमौर		474,750.00	
उना		380,501.00	9,292,106.00
बी०,स०,न०,ल० (उप मण्डल शिमला)			78,420,000.00
उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा काजा			115,500.00
हिमुडा शिमला			98,115,000.00
एच०पी०,स०ई०डी०सी० खलीनी			32,586.00
कुलदीप शर्मा			8,143.00
एस०सी०ई०आर०टी० सोलन			717,072.00
हिमाचल प्रदेश राज्य मुद्रण ,एवं लेखन विभाग			36,582.00
			2,000.00
			39,961.00
	कुल		295,124,783.50
अनुसूची, फ			
वर्तमान देनदारियों का विवरण			
अजय सिंह सलवानी			6,755.00
श्रीमती शुभ्रा बैनर्जी			406.00
भानू प्रताप हमीरपूर			54.00
	कुल		7,215.00
अनुसूची जी			
सर्व शिक्षा अभियान के लिए, देय विवरण			
देय राशि का विवरण			
निदेशक उच्च शिक्षा			38,088,000.00
निदेशक प्रारंभिक शिक्षा			52,164,000.00
	कुल		90,252,000.00

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान-राज्य मिशन प्राधिकरण

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखानीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

- समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है। व्यय कुछ मामलों में नगदी आधार को छोड़ कर मुख्यतः उपार्जित आधार पर लेखाबद्ध किया गया है।
- सहायता अनुदान

पूँजीगत व्यय

अनुदान राशि से स्थायी सम्पत्तियां क्रय करने पर जिन्हें समिति की सम्पत्तियां माना जाता है के अनुसार संचित पूँजी का सृजन किया जाता है। स्थायी सम्पत्तियों पर धिसावट का प्रावधान नहीं है।

राजस्व व्यय

- राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
- राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणीयां

- अनुदान उपयोगिता : विभिन्न स्कूलों को कई तरह की गतिविधियों के लिए जारी किया गया अनुदान स्कूलों से प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र के आधार पर व्यय में रिकार्ड किया गया है। जबकि पहले वर्षों में बिना उपयोगिता के ही सभी जारी की गई राशि खर्च में दर्ज की गई थी।
- स्थाई सम्पत्तियों की भौतिक जांच इस वर्ष के अंकेक्षण के तहत नहीं की गई है।
- भारत संचार निगम को हिमाचल प्रदेश को रूपये 78420000.00 और हिमुडा को रूपये 98115000.00 निर्माण कार्य के लिए किये गए अग्रिम भुगतान का उपयोगिता प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ये राशियाँ चालू सम्पत्तियों के मद में दर्शायी गई हैं।
- दर्शाये गये शेष पुष्टिकरण के आधार पर पुनः प्राप्त और देय हैं।
- पिछले वर्षों के आंकड़े जहाँ जरूरी हुआ पुनः समुहित/पुनः व्यवस्थित किया गया है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड एकाउंटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटै
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (मॉडल स्कूल स्कीम)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनाक 03.11.1995 के अन्तर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) मॉडल स्कूल स्कीम के तुलन पत्र 31.03.2012 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की मॉडल स्कूल स्कीम लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशि और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित है। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा की गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2012 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (मॉडल स्कूल स्कीम) वर्ष 31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्रोतों और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

एस के सोनी

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

सहकर्ता
एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ई०मेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति, मॉडल स्कूल योजना से संबंधित वर्ष 2011-12 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया ।

- 1) अभिव्यक्तियाँ एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्रोत सर्व शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए है ।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है ।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे मॉडल स्कूल योजना के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं ।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियाँ वर्ष 2011-12 में मॉडल स्कूल स्कीम कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाती है ।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने मॉडल स्कूल स्कीम के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2011-12 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उदग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि मॉडल स्कूल स्कीम अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

31/3/2012 को समाप्त वर्ष के लिए मॉडल स्कूल योजना के अधीन उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख		
क्र०सं०	विवरण	राशि
ए	सहायता अनुदान- भारत सरकार अंश	0.00
	योग	0.00
बी	सहायता अनुदान- राज्य सरकार अंश	15,00,000.00
	प सं०ई०डी० एन०-एच(4)3.(सी) प्लान दिनांक	

	10.05.2011	
	योग	15,00,000.00
	कुल योग (ए+बी)	15,00,000,00
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	7,47,98,736.00
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	2,95,213.00
ई	अन्य प्राप्तियां	0.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	7,65,93,949.00
	घटाव: खर्च 2010-11	0.00
	अव्यय शेष	7,65,93,949.00
	प्रस्तुत कर्ता	
	अग्रिमे	7,24,00,000.00
	शुद्ध अव्यय शेष (रोकड़ एवं बैंक शेष)	41,93,949.00
	योग	7,65,93,949.00

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2011-12 के लिए सदस्य सचिव हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के पक्ष में मंजूर किए गए अनुदान के पक्ष में रु० 15,00,000.00/- (रुपये पन्द्रह लाख मात्र) राज्य सरकार सहायता अनुदान तथा 2011-12 अवधि के दौरान रु० 7,47,98,736.00 (सात करोड़ सेंतालिस लाख अठानवे हजार सात सौ छत्तीस) पर अर्जित ब्याज की राशि रु० 2,95,213.00/- (रुपये दो लाख पच्चानवे हजार दो सौ तेरह रु० मात्र) के रूप में कुल रु० 7,65,93,949.00/- (रुपये सात करोड़ पैंसठ लाख तिरानवे हजार नौ सौ उन्चास) मॉडल स्कूल के खाते में अर्जित है तथा अभी तक इसमें कोई भी राशि खर्च नहीं की गई है। तथा वित वर्ष के अन्त में अगले वर्ष की सहायता अनुदान राशि में समायोजित किये जायेंगे।
- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है :
- 3 अपनाई गई जांच कसौटियां
- अ) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)

- ब) उपयोगिता प्रमाण पत्र
- स) प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

हस्ता-

स्थान : शिमला

दिनांक : 02/02/2013

राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड ऐकाउटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल योजना
 गज्ज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०इ०पी० भवन लालपानी शिमला-171001
 समेकित तुलन पत्र (31मार्च 2012 तक)

पूर्व पितिय वर्ष 2010-11	देयताएं	राशि (रु०)	चालू वर्ष 2011-12	पितिय वर्ष 2010-11	सम्पत्तियां		चालू वर्ष 2011-12
					चालू सम्पत्तियां	ऋण एवं	
74,798,736.00	अव्यय अनुदानक-1	76593949.00	72400000.00	स्कूलों के निर्माण के लिए हिमुडा को अग्रिम भूगतान			72400000.00
100000.00	चालू देनदारिया		2498736.00	गोकड़ और बैक शेष पी एन बी संजौली के बचत खाते में		4193949.00	
74,898,736.00	कुल	76593949.00	74898736.00				76593949.00
सोनी एंड लस्टोरी							
चार्ट्ड एकाउटेंट							
एप्प० आर० न० ००४७३८८८							
एस फै लोनी सहफारी							
एमान००८२५७६							

अध्यान. शिमला
 दिनांक. 02.02.2013

हिमाचल प्रदेश रक्तूल शिक्षा समिति- मॉडल रक्तूल योजना

राज्य परियोजना कार्यालय डी०पी०इ०पी० भवन लालपानी शिमला-१७१००१

31-03-2012 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय व व्यय लेखा

31.03.2012 अव्यय सहायता अनुदान का विवरण

अनुलापनका - १

ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ

गत शेष	प्राप्तियां	उपयोगिताएं	शेष
सहायता अनुदान			
केन्द्र सरकार	67800000.00		67800000.00
राज्य सरकार	4500000.00	1500000.00	6000000.00
व्याज	2498736.00	295213.00	2793949.00
योग	74798736.00	1795213.00	76593949.00

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटेंट

ଚାର୍ଡ ପେକାରେଟ

एफ० आर० न० ००४७३७८८
एस के सोनी सहकर्ता
एम०न० ०८२५७६

(ग्रिश्मान निदेशाक)

(राज्य परियोजना निवेशक)

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2015

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा तात्परि- मॉडल स्कूल योजना
 राज्य परियोजना कार्यालय लीडरीडेवली भवन लालपानी शिमला-171001
 31-03-2012 तक समाप्त वर्ष के लिए समेकित आय व खर्च लेखा

पूर्ण पितिय वर्ष 2010-11	चयन	शाशि (रु.)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्ण वर्ष 2010-11	आय	शाशि	चालू वर्ष 2011-12
2498736.00	तुलन पत्र को हस्तांतरित शरी	295213.00	2498736.00	प्राप्त व्याज			295213.00
2498736.00	कुल (लप्य)	295213.00	2498736.00		कुल (लप्य)		295213.00

शासन: शिमला

देनांक: 02/02/2013

सोनी एंड कस्टोरी

चार्ट्ड एकाउंटेंट

एफा आर० न० 004737एन०

एस के सोनी सहकारी

एमएन०.082576

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति-मॉडल स्कूल
झीपाईपी भवन, लालपानी, शिमला-171001

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समीकेत प्राप्ति और खुगतान लेखा

पूर्व वित्तीय वर्ष 20-10-11	प्राप्तिया	राशि (₹)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्व वित्तीय वर्ष 20-10-11	मूगतान	राशि (₹)	चालू वर्ष 2011-12
67800000.00	गत शेष				हिमाचल अग्रिम देव राशि		
	बैंक बयाया पैनबै राजौली		2,498,736.00	72,400,000.00	देव उदार		
	सहायता अनुदान राशि केन्द्र सरकार से प्राप्त						100,000.00
4500000.00	सहायता अनुदान राशि राज्य सरकार से प्राप्त	1,500,000.00	1,500,000.00	2,498,736.00	इति शेष		
2498736.00	द्याज से प्राप्त राशि		295,213.00		बैंक भे राशि पौँगनी वी संजीली	4,193,549.00	4,193,949.00
100,000.00	देव उदार						
74,898,736.00	योग(₹)	4,293,949.00	74,898,736.00		योग(₹)	4,293,949.00	

(राज्य विद्योजना निदेशक)

स्थान: शिमला

दिनांक: 02.02.2013

(मिशन निदेशक)

राशि
राशि

देव
देव

उदार
उदार

पौँगनी वी
संजीली

पौँगनी वी
संजीली

पौँगनी वी
संजीली

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अन्तर्गत मॉडल स्कूल स्कीम

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखानीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

1. समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है। नगदी आधार को छोड़कर।
2. सहायता अनुदान

राजस्व व्यय

- (i) राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
- (ii) राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

1. वित्तीय विवरण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत मॉडल स्कूल स्कीम के लिए प्राप्त/उपयोग की गई निधि को तैयार किया गया है। परियोजना के प्रारंभ से प्राप्त अनुदान और उन पर 31.3.2012 तक प्राप्त ब्याज का कोई भी उपयोग नहीं किया गया है।
2. इन स्कूलों के निर्माण कार्य को करने हेतु पहले के वर्षों में ही कुल अग्रिम एवं ऋण राशि 7,24,00,000.00 (सात करोड़ चौबी लाख रुपए) हिमुडा को जारी कर दी गई है। परन्तु उपयोगिता प्रमाणपत्र के न मिलने के कारण अनुकूल नहीं की गई है।
3. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से वर्तमान दायित्व रूपए 1,00,000.00 (रु. एक लाख) लम्बित है।
4. बकाया और देय की पुष्टि कर दी गई है।
5. पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड एकाउंटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मिशन निदेशक,
हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति (बालिका छात्रावास योजना)
डी०पी०ई०पी० भवन लालपानी शिमला (हि०प्र०)

हमने समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 के अन्तर्गत पंजीकरण संख्या 120/95 दिनाक 03.11.1995 के अंतर्गत पंजीकृत हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति लालपानी शिमला (हि०प्र०) बालिका छात्रावास स्कीम के तुलन पत्र 31.03.2012 के अनुसार, निर्दिष्ट तिथि अनुसार उक्त समिति के आय व व्यय खाते तथा प्राप्ति एवं भुगतान खाते का परीक्षण किया जो उक्त समिति द्वारा अनुरक्षित लेखा पुस्तकों के मिलान में है।

हमने लेखा परीक्षा स्थापित परीक्षण मानकों तथा बालिका छात्रावास स्कीम लेखा पुस्तक के अनुसार किया। उन मानकों के अनुसार ऑडिट योजना व कार्य किया गया जो तर्कपूर्ण आश्वासन प्राप्त करने हेतु आवश्यक हैं कि वित्तीय विवरण भौतिक त्रुटिपूर्ण टिप्पणियों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में परीक्षण जांच आधार, वित्तीय विवरण में राशी और अभिव्यक्ति सहायक साक्ष्य सम्मिलित हैं। लेखा परीक्षा में अपनाए गए लेखा सिद्धांतों का अनुमान तथा प्रबंधन द्वारा बनाए गए विशिष्ट अनुमान तथा पूर्ण वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन भी सम्मिलित होते हैं। हमें यह विश्वास है कि हमारे द्वारा कि गई लेखा परीक्षा इस मत को तर्क पूर्ण आधार प्रदान करती है।

हमारे द्वारा किया गया ऑडिट हमें प्रदान किये गये टर्म ऑफ रिफरेन्स के अनुसार है। हमारे मतानुसार और महत्त्वपूर्ण लेखा सिद्धांतों तथा लेखों पर टिप्पणियां जो प्रबंधन पत्र में दी गई हैं, के अतिरिक्त वर्ष 31/3/2012 के अंत में बने वित्तीय विवरण तथा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के तहत बालिका छात्रावास स्कीम वर्ष 31/3/2012 को समाप्त हुए वर्ष की निधियों के स्त्रेंटो और उपयोग का सही व वास्तविक विवरण प्रस्तुत करता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला

एस के सोनी
सहकर्ता

दिनांक: 02.02.2013

एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति बालिका छात्रावास परियोजना से संबंधित वर्ष 2010-11 का वित्तीय विवरण जो यहां संलग्न हैं का भारतीय सन्दी लेखाकार संस्थान के नियमों एवं मानकों के अनुसार ऑडिट किया गया है तथा तदानुसार पुष्टि हेतु लेखों की जांच, अभिलेख, आन्तरिक जांच एवं ऑडिट की अन्य विधियों को सम्मिलित किया गया।

- 1) बालिका छात्रावास स्कीम अभिव्यक्तियां एवं टिप्पणियाँ जो इसी तिथि के अनुसार संलग्न किए गए तुलन पत्र का अभिन्न भाग है के अतिरिक्त स्त्रोत राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की गतिविधियों के लिए हैं।
- 2) वित्तीय विवरण मेरी जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

उपरोक्त वित्तीय विवरण के ऑडिट के समय सम्बद्ध दस्तावेजों का परीक्षण किया गया तथा वे बालिका छात्रावास स्कीम के अन्तर्गत सहायक प्रत्याहरण हेतु विश्वसनीय हैं।

सूचना एवं विवेचना के आधार पर वांछित परीक्षण ऑडिट से हमारी जानकारी के अनुसार प्रमाणित किया जाता है कि वित्तीय विवरण तथा अलग से दी गई अभिव्यक्तियां वर्ष 2010-11 में बालिका छात्रावास स्कीम कार्यान्वयन तथा प्रक्रिया का एक सही तथा स्पष्ट दृश्य दर्शाता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड ऐकाउटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

सोनी एंड रस्तोगी चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०
ईमेल skssonifca@yahoo.com

नया निकेतन भवन
छोटा शिमला-171002
टेलीफैक्स न० 91-177-2624181,
2622588, मो० 94180-01500

अधिप्राप्ति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने बालिका छात्रावास स्कीम के लिए प्रयोग किए गए अधिप्राप्ति नियम का अध्ययन किया जो वर्ष 2011-12 के हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के अभिलेखों और जिलों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदन से उद्ग्रहण के आधार पर है। हम प्रमाणित करते हैं कि बालिका छात्रावास योजना के अंतर्गत वित्तीय प्रबंध और अधिप्राप्ति नियम पुस्तिका में निर्धारित अधिप्राप्ति प्रक्रिया की अनुपालना की गई है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टर्ड एकाउंटैट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

31/3/2012 को समाप्त वर्ष में बालिका छात्रावास स्कीम का हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति को देय उपयोगिता प्रमाण पत्र

राज्य का नाम : हिमाचल प्रदेश

क्र०सं०	स्वीकृति पत्र संख्या और तारीख	
	विवरण	राशि
ए	सहायता अनुदान- भारत सरकार अंश	
	योग	
बी	सहायता अनुदान- राज्य सरकार अंश	212000.00

	1) ईडीएन-एच(4)-3 (3)योजना आर एम एस ए दि.10.05.2011	
	योग	212000.00
	कुल योग (ए+बी)	212000.00
सी	पिछले वर्ष का अव्यय शेष	104000241.00
डी	वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	420107.00
ई	अन्य प्राप्तियां	0.00
	कुल योग (ए+बी+सी+डी+ई)	11062348.00
	घटाव: खर्च 2011-12	0.00
	अव्यय शेष	11062348.00
	प्रस्तुतकर्ता	
	अग्रिमें	0.00
	शुद्ध अव्यय शेष(रोकड़ एवं बैंक शेष)	11062348.00
	चालू देनदारियां	0.00
	योग	11062348.00

- 1 यह प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, माध्यमिक शिक्षा तथा साक्षरता विभाग के पत्र संख्या के माध्यम से वर्ष 2011-12 में एवं राज्य सरकार अनुदान के रूप में मैंबर सेकरेटरी हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति के पक्ष में मंजूर किए गए अनुदान में ₹ 2,12,000.00/- (रुपये दो लाख बारह हजार मात्र) तथा 2011-12 अवधि के दौरान ₹ 4,20,107.00 (रुपए चार लाख बीस हजार एक सौ सात) ब्याज की राशि के रूप में अर्जित किए गए और ₹ 0.00/- (कुल शुन्य रुपए मात्र) उपयोग किए गए जिस कारण खाते में बचा शेष रुपए ₹ 1,10,62,348.00 (रुपए एक करोड़ दस लाख बासठ हजार तीन सौ अड़तालिस रुपए मात्र) बिना उपयोग किए ही बच गए और अगले वर्ष प्राप्त होने वाले अनुदानों में समायोजित किए जाएंगे।
- 2 यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने इस सम्बन्ध में अपने आपको आश्वस्त कर लिया है कि जिन शर्तों पर सहायता अनुदान मंजूर किया गया था उनकी पूर्ति की गई है और यह देखने के लिए कि निधि वस्तुतः उसी प्रयोजन के लिए खर्च की गई है, जिसके लिए वह स्वीकृत की गई थी मैंने निम्न जांच की है :
- 3 अपनाई गई जांच कसौटियां
- अ) लेखों का लेखापरीक्षित विवरण (प्रति संलग्न)

- ब) उपयोगिता प्रमाण पत्र
- स) प्रगति रिपोर्ट (प्रति संलग्न)

हस्ता-

स्थान : शिमला

दिनांक : 02/02/2013

राज्य परियोजना निदेशक
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

लेखा परीक्षक का प्रमाण पत्र

हमारे समक्ष सत्यापन के लिए प्रस्तुत बहियों और अभिलेखों के बल पर उक्त विवरण का हमने सत्यापन कर लिया है और यह पाया कि वह तदानुसार तैयार किया गया है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड ऐकाउटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

हिमाचल प्रदेश स्कूल रिका समीति-बतिका छात्रवास योजना
राज्य परियोजना कार्यालय हीरोइंडीपी भवन लालपानी शिवलाला-171001
समीकित गुलन पत्र (31 नार्च 2012 तक)

गुरु शितिय वर्ष 2010-11	देखताएं	राशि (₹)	चालू वर्ष 2011-12	शितिय वर्ष 2010-11	समीकित गुरु वर्ष 2011-12
				चालू सम्पत्तिया श्रण एवं अधिक	
10,430,241.00	अव्यय अनुदान अनुलग्नक-1		11062348.00	10430241.00 रोकड़ और बैक शेष पी एन बी संजौली के बचत खाते में	11062348.00
10,430,241.00	कुल		11062348.00	10430241.00	11062348.00

स्थान: शिवलाला
दिनांक: 02.02.2013

सोनी एंड कलांगी
चार्ट्ड एकाउंटेंट
एफ आर न्ड 004737430
प्स के सोनी सहकारी
एफन्ड 08276

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति- बालिका छात्रावास योजना
गण्डव परियोजना कार्यालय ₹१०पी०५०पी० भवन लालपानी शिमला

अन्तर्राष्ट्रीय - १

31.03.2012 अव्यय सहायता अनदान का विवरणराशी

31.03.2012 अव्यय सहायता अनुदान का विवरणराशि				रूपये में
गत शेष	प्राप्तियां	उपयोगिताएं	शेष	
सहायता अनुदान 10199200	212000.00	0.00	10411200.00	
ब्याज	231041.00	420107.00	0.00	651148.00
योग	10430241.00	632107.00	0.00	11062348.00

ਸ਼ੋਨੀ ਏਂਡ ਫਰਸ਼ਾਰੀ

୪୮

एफ० आर० न० ००४७३७८८०
एस के सोनी सहकारा
एम०न००८२५७६

(भिशन निदेशक)

(राज्य परियोजना
निदेशक)

અગ્રણ ગ્રંથાલય

हिमाचल प्रदेश रक्तूल शिक्षा समिति- वालिका छात्रवास योजना
राज्य परियोजना कार्यालय डीपीईपी० भवन लालपानी शिमला-171001
31-03-2012 तक समाप्त वर्ष के लिए समोकित आय व खप लेखा

पूर्ण वित्तीय वर्ष 2010-11	व्यय	शाशि (रु.)	चालू वर्ष 2011-12	पूर्ण वर्ष 2010-11	आय	शाशि	चालू वर्ष 2011-12
231041.00	तुलन पत्र को हसानारिश शशी		402107.00	231041.00	प्राप्त व्याज		420107.00
231041.00		कुल (रुपय)	402107.00	231041.00		कुल (रुपय)	420107.00

(राज बोयोजना निदरक)	(प्रियन निदेशक)	सोनी एंड रक्तोगी चार्टर्ड एकाउंटेंट
स्थान. शिमला		एफ० आष० न० ०५४७३८८१
दिनांक. ०२.०२.२०१३		एस के सोनी सहकारी एम्पन० ०८२५७६

ਵਿਸਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਇਸਾ ਸਮਿਤੀ-ਬਾਲਿਕਾ ਆਨਾਵਾਸ ਯੋਜਨਾ
ਲੰਪਿੰਪੀ ਮਹਿ. ਲਾਤਾਨਾ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ। ਫੋਨ: 17100

31 मार्च, 2012 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित प्रथि और भूगतन होता

(राज्य विधीन सभा)
निर्देशक

स्थान: शिमला
दिनांक: 02/02/2013

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा समिति एवं बालिका छात्रावास स्कीम - राज्य मिशन प्राधिकरण

31 मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विशेष लेखानीतियां व लेखों पर टिप्पणियां

- समिति के लेखों को उपार्जित प्रणाली के आधार पर अनुरक्षित किया गया है।
- सहायता अनुदान

राजस्व व्यय

- राजस्व अनुदान को वर्ष के दौरान उपयोग की गई राशि की सीमा तक आय माना गया है। उपयोग नहीं की गई राशि को लेखा पुस्तकों में अलग से दर्शाया जा रहा है।
- राजस्व व्यय को जिसे वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिया गया/अनुमोदित किया गया सामान्यतः वर्ष में व्यय माना गया है।

लेखों पर टिप्पणियां

- वित्तीय विवरण राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत बालिका छात्रावास स्कीम के लिए प्राप्त/उपयोग की गई निधि को तैयार किया गया है। इस स्कीम का लेखा प्रशिक्षण इसी वर्ष प्रथम बार किया गया है और 2011-12 में प्राप्त अनुदान खर्च नहीं किया गया है। समेकित तुलना पत्र में आय एवं व्यय, प्राप्तियां एवं देय दर्शाए गए हैं जबकि प्राप्त अनुदान खर्च नहीं किया गया है।
- पूर्व वर्ष के आंकड़ों को आवश्यकता अनुसार पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है।

सोनी एंड रस्तोगी
चार्टड एकाउंटेट
एफ०आर० न० 004737एन०

स्थान: शिमला
दिनांक: 02.02.2013

एस के सोनी
सहकर्ता
एम०न०.082576

Himachal Pradesh at a Glance

Came into existence		15 th April,1948
Achieved Statehood		25 th January,1971
Location	Longitude	75° 45' 55" E to 79° 04' 20" E
	Latitude	30° 22' 40" N to 33° 12' 20" N
Area		55673 Sq. Km.
Districts		12
Tehsils		75
C.D.Blocks		77
Villages		20690
Population	2011 Census(P)	68,56,509 Persons
	Male	34,73,892
	Female	33,82,617
Density		123 Persons Per Sq. Km.
	Highest	406 Persons Per Sq. Km (Hamirpur)
	Lowest	02 Persons Per Sq. Km (Lahaul-Spiti)
Sex Ratio		974/1000 F/M
Population Status	Rural	61,67,805 (89.6%)
	Urban	6,88,704(10.4%)
	SC	15,02,170
	ST	2,44,587
Literacy Rate (2011 Census)		51,04,506(83.78%)
	Male	27, 91,542(90.83%)
	Female	23, 12,964(76.60%)
Electrified Villages		100 %
No. of Legislative Assembly Constituencies		68
No. of Parliamentary Assembly Constituencies	Lok Sabha	4
	Rajya Sabha	3

A FACT SHEET
Education Department Himachal Pradesh

1	Total Schools	Managed By: Department of Education		
	Primary(Govt.+ Aided)	10715		
	Upper Primary(Govt.+ Aided)	4385		
	Secondary	839		
	Higher Secondary	1236		
2	Total Enrolment	Boys	Girls	Total
	Primary	221517	219473	440990
	Upper Primary	217996	194923	412919
	Secondary	90731	90302	181033
	Higher Secondary	77992	74144	152136
3	Total Teachers	Male	Female	Total
	Primary	15992	11189	27181
	Upper Primary	15508	6481	21989
	Secondary	5089	5232	10321
	Higher Secondary	7346	3502	10848
4	GER	Boys	Girls	Total
	Primary	110.98	110.95	110.97
	Upper Primary	131.51	130.31	130.94
	Secondary	91.88	87.15	89.55
	Higher Secondary	71.64	67.53	69.62
5	NER	Boys	Girls	Total
	Primary	90.19	90.2	90.19
	Upper Primary	92.61	92.9	92.75
	Secondary	54.14	51.99	53.08
	Higher Secondary	43.78	42.53	43.2
6	PTR			
	Primary			16
	Upper Primary			15
	Secondary			18
	Higher Secondary			14
7	Average School Size			
	Primary			41
	Upper Primary			75
	Secondary			89
	Higher Secondary			127
8	Dropout rate			
	Primary			0.33
	Upper Primary			0.32
	Class X			7.94
	Class XI			20.64

Literacy Rate for State and Districts : 2011

Sl. No.	State/District	Total Population			Literacy rates		
		Person	Male	Female	Person	Male	Female
1	2	3	4	5	12	13	14
	Himachal Pradesh	68,56,509	34,73,892	33,82,617	83.78	90.83	76.6
1	Chamba	5,18,844	2,60,848	2,57,996	73.19	84.19	62.14
2	Kangra	15,07,223	7,48,559	7,58,664	86.49	92.55	80.62
3	Lahul & Spiti	31,528	16,455	15,073	77.24	86.97	66.5
4	Kullu	4,37,474	2,24,320	2,13,154	80.14	88.8	71.01
5	Mandi	9,99,518	4,96,787	5,02,731	82.81	91.51	74.33
6	Hamirpur	4,54,293	2,16,742	2,37,551	89.01	95.28	83.44
7	Una	5,21,057	2,63,541	2,57,516	87.23	92.75	81.67
8	Bilaspur	3,82,056	1,92,827	1,89,229	85.67	92.39	78.9
9	Solan	5,76,670	3,06,162	2,70,508	85.02	91.19	78.02
10	Sirmaur	5,30,164	2,76,801	2,53,363	79.98	86.76	72.55
11	Shimla	8,13,384	4,24,486	3,88,898	84.55	90.73	77.8
12	Kinnaur	84,298	46,364	37,934	80.77	88.37	71.34

Source: series-3 Provisional Population Totals Paper- 1 of Census 2011

Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan
Implementation structure

Hon'ble Chief Minister
(President Governing Council)

Hon'ble Education Minister
(Vice-President Governing Council)

Principal Secretary Education-cum-Chairman HPSES
(Chairman Executive Committee)

Mission Director -cum -Director Higher Education

State Project Director

12 Distt. Project Coordinator –cum- Dy. Director Higher Education

124 Principals –cum- Block Project Officer

124 Block Resource Co-coordinator (UP)

Secondary/ Higher Secondary Schools

SECONDARY/ HIGHER SECONDARY SCHOOLS

CHAPTER - I

“RASHTRIYA MADHYAMIK SHIKSHA ABHIYAN”

Introduction

“Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan” has been implemented in the State for the secondary level (i.e. for 9th & 10th classes) w.e.f. 2009-2010 through the existing Himachal Pradesh School Education Society and administrative set up of Sarva Shiksha Abhiyan as per the guidelines issued by the GOI. The project is being implemented in the sharing pattern of 75:25 (75% for GOI and 25% for State govt.) during the current five year plan.

The Programme aims to ensure universal access of secondary education by 2017 (GER of 100%) and universal retention by 2020. The vision for secondary education is to make good quality education available, accessible and affordable to all youngsters in the age group of 14-18.

Vision

The vision for secondary education is to make good quality education available, accessible and affordable to all young persons in the age group of 14-18 years. With this vision in mind, the following is to be achieved:

- To provide a secondary school within a reasonable distance of any habitation, which should be 5 kilometer for secondary schools and 7 -10 kilometers for higher secondary schools.
- Ensure universal access of secondary education by 2017 (GER of 100%), and
- Universal retention by 2020,
- Providing access to secondary education with special references to economically weaker sections of the society, the educationally backward, the girls and the disabled children residing in rural areas and other marginalized categories like SC, ST, OBC and Educationally Backward Minorities (EBM).

Goal and Objectives

In order to meet the challenge of Universalisation of Secondary Education (USE), there is a need for a paradigm shift in the conceptual design of secondary education. The guiding principles in this regard are; Universal Access, Equality and Social Justice, Relevance and Development and Curricular and Structural Aspects. Universalisation of Secondary Education gives opportunity, to move towards equity. The concept of ‘common school’ will be encouraged. If these values are to be established in the system, all types of schools, including unaided private schools will also contribute towards Universalisation of Secondary Education (USE) by ensuring adequate enrolments for the children from under privileged society and the children Below Poverty Line (BPL) families.

The above goal translates into the following main objectives;

- To ensure that all secondary schools have physical facilities, staffs and supplies at least according to the prescribed standards through financial support in case of Government/ Local Body and Government aided schools, and appropriate regulatory mechanism in the case of other schools.
- To improve access to secondary schooling to all young persons according to norms – through proximate location (say, Secondary Schools within 5 kms, and Higher Secondary Schools within 7-10 kms) / efficient and safe transport arrangements/residential facilities, depending on local circumstances including open schooling. However in hilly and difficult areas, these norms can be relaxed. Preferably residential schools may be set up in such areas.
- To ensure that no child is deprived of secondary education of satisfactory quality due to gender, socio-economic, disability and other barriers.
- To improve quality of secondary education resulting in enhanced intellectual, social and cultural learning.
- To ensure that all students pursuing secondary education receive education of good quality
- Achievement of the above objectives would also, inter-alia, signify substantial progress in the direction of the Common School System.

The scheme will initially cover upto class X. Subsequently, the higher secondary stage will also be taken up, preferably within few years of the implementation. The strategy for universalizing access to secondary education and improving its quality are as under:

Access

There is a wide disparity in schooling facilities in different regions of the country. There are disparities among the private schools and between private and government schools. For providing universal access to quality secondary education, it is imperative that specially designed broad norms are developed at the national level and provision may be made for each State/UT keeping in mind the geographical, socio-cultural, linguistic and demographic condition of not just the State/UT but also, wherever necessary, of the locality. The norms for secondary schools should be generally comparable to those of Kendriya Vidyalayas. Development of the infrastructure facilities and Learning Resources will be carried out in following ways,

- Expansion/ Strategy of existing Secondary Schools & Higher Secondary Schools shift in existing schools.
- Up gradation of Upper Primary Schools based on micro planning exercise with all necessary infrastructure facilities and teachers. Ashram Schools will be given preference while upgrading upper primary schools.
- Up gradation of Secondary Schools in Higher Secondary Schools based upon the requirements.

- Opening of new Secondary Schools/ Higher Secondary Schools in unserved areas bas on the school mapping exercise. All these buildings will have mandatory water harvesting system and will be disabled friendly.
- Rain harvesting systems will be installed in existing school buildings also.
- Existing school buildings will also be made disabled friendly.
- New schools will also be set up in PPP mode.

Quality

- Providing required infrastructure like, Black Board, furniture, Libraries, Science & Mathematics laboratories, computer labs, toilet cluster.
- Appointment of additional teachers and in-service training of teachers.
- Bridge course for enhancing learning ability for students passing out of class VIII.
- Reviewing curriculum to meet the NCF, 2005 norms.
- Residential accommodation for teachers in rural and difficult hilly areas. Preference will be given to accommodation for female teachers.

Equity

- Free lodging/ boarding facilities for students belonging to SC,ST,OBC and minority communities
- Hostels/ residential schools, cash incentive, uniform, books, separate toilets for girls.
- Providing scholarships to meritorious/ needy students at secondary level.
- Inclusive education will be the hallmark of all the activities. Efforts will be made to provide all necessary facilities for the differently abled children in all the schools.
- Expansion of Open and Distance Learning needs to be undertaken, especially for those who cannot pursue full time secondary education, and for supplementation / enrichment of face-to-face instruction. This system will also play a crucial role for education of out of school children.

Institutional Reforms and Strengthening of Resource Institutions

Making necessary administrative reforms in each State will be a precondition for Central assistance. These Institutional reforms include,

- Reforms in school governance- Improve schools' performance by decentralizing their management and accountability.
- Adopting a rational policy of teacher recruitment, deployment, training, remuneration and career advancement;

- Undertaking reforms in educational administration including modernization / e-governance and delegation / de-centralization;
- Provision of necessary professional and academic inputs in the secondary education system at all levels, i.e., from the school level upwards; and
- Streamlining financial procedures for speedy flow of funds and their optimal utilization.
- Necessary strengthening of resource institutions at, various levels, e.g.,
 - NCERT (including RIEs), NUEPA and NIOS, at the national level;
 - SCERTs, State Open Schools, SIEMATs, etc., at the State level; and
- University Departments of Education, Reputed Institutions of Science / Social Science / Humanities Education, and Colleges of Teacher Education (CTEs) / Institutions of Advanced Study in Education (IASEs) funded under the Centrally-sponsored Scheme of Teacher Education.
- Involvement of Panchayati Raj and Municipal Bodies, Community, Teachers, Parents and other stakeholders in the management of Secondary Education, through bodies like School Management Committees and Parent – Teacher Associations will be ensured in planning process, implementation, monitoring and evaluation.

Chapter -2

PROGRAMME MANAGEMENT

To implement RMSA in H.P., an autonomous society namely **Himachal Pradesh School Education Society** (HPSES) has been registered under Sub-section (2) of Section 11 of the Himachal Pradesh Societies Registration Act, 2006. (No. 25 of 2006) on the 19th day of March, 2010 by the Registrar of Societies District Shimla, H.P. at Sr. No. 120/95, with Principal Secretary Education to the Government of H.P. as the Chairman of the Society and having its headquarters at the Directorate of Primary Education, Glen Hogen, Lal Pani, Shimla-171001.

Management structure

RMSA Programme is being implemented in a mission mode by Himachal Pradesh School Education Society (HPSES) which has two organs Governing Council with Chief Minister as ex-officio President and Executive Committee under the Chairmanship of Secretary Education to the Government of Himachal Pradesh.

GOVERNING COUNCIL

(Constituted under Rule-7 of the MOA)

1	Hon'ble Chief Minister, H.P.	President
2	Hon'ble Education Minister, H. P.	Vice President
3	Chief Secretary, Govt. of H.P.	Ex. Officio Members
4	Secretary Planning , Economics and Statistics, Govt. of H.P.	-do-
5	Secretary Finance, Govt. of H.P.	-do-
6	Secretary Social and Women Welfare , Govt. of H.P.	-do-
7	Secretary School Education, Govt. of H.P.	-do-
8	Secretary Public health and Family Welfare, Govt. of H.P.	-do-
9	Secretary Panchayati Raj & Rural Development, Govt. of H.P.	-do-
10	Secretary Local Self Govt., Govt. of H.P.	-do-
11	Secretary Public relations, Govt. of H.P.	-do-
12	Commissioner/Secretary Tribal Development, Govt. of H.P.	-do-
13	Principal, SCERT, Solan (H.P.)	-do-
14	Chairman, H.P. Board of School Education	-do-
15	Ms. Indira Chauhan, CHT, Govt. Primary School, Paonta Sahib, Distt. Sirmour	Pre Primary School Teachers & NEF Personal
16	Sh Chaman Thakur, Retd BPEO Vill. Kothi, PO Cholthra Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi	-do-

17	Sh. Ramesh Thakur JBT, Govt. Primary School, Bailag da Ghat Tehsil Bhoranj, District Hamirpur	-do-
18	Sh. Baldev Chand Dhiman Retd. Principal Vill. Kakryana P.O. Tikkar Didwin, Distt. Hamirpur	Upper Primary Teacher
19	Sh. Braham Dutt Sharma, Retd. Dy. Director V&PO Bela Tehsil Nadaun, Distt. Hamirpur	Educationist
20	Mrs. Premi Devi, BEEO, Jhanduta, Distt. Bilaspur	-do-
21	Smt. Kiran Gera, Pragya(NGO), Jeevan Jyoti Building V&PO Reckong Peo, Distt. Kinnaur	Voluntary Agencies
22	Mrs. Sanjana Goyal, IAMD, Hospital Road Tehsil & Distt. Solan	-do-
23	Dr. N.K. Sharma, Clinical Psychologist, National Street, Mandi	Specialist in SC, ST & Disabled Children Educator
24	Sh. Baldev Raj Awasthi (Ayurvedic Officer) Near Gas Agency, Kullu	-do-
25	Smt. Chander Kala, CDPO Drang, Vill. Darang P.O. Kunnu, Distt. Mandi	Women Educationist
26	Smt. Satvir Kaur, W/O Sh. P.S. Bonsra VPO Dehlan, Tehsil & Distt. Una	-do-
27	Sh. S.N Shouriee, Retd. Dy. Director Dharamsala	Social Worker
28	Sh. Jagdish Sharma, Shri Hari Knj, Lower Kaithu Shimla-3	Literacy Figures & Artist
Members Nominated by GOI		

29	Concerned Joint Secretary	
30	Concerned Joint Secretary or his/her nominee	M/O HRD nominee
31	Financial Advisor MHRD or his/her nominee	----do----
32	Dr. Govind, NUEPA	----do----
33	The Vice Chacellor, H.P. University Shimla (SSA Monitoring Institute)	Educationist
34	Shri J.B.G. Tilak, Sr. Fellow NUEPA	-do-
35	Prof. Shyam Menon, CIE Delhi University	-do-
36	Dr. Aloka Guha, Disability Corp. New Delhi	Specialist in SC, ST & Disabled Children Educator
37	Sh. R.D. Munda, EX-VC, Ranchi University	-do-
38	Sh. Subhash Mahdapurkar, SUTRA, Solan	-do-
39	DR. Pam Rajput, Punjab University	Women Educationist
40	Ms. Kunjana Singh, Ranger Palace, Distt. Sirmour, H.P.	-do-

Executive Committee

The constitution of the Executive Committee is as follows:

1.	Principal Secretary (Education) to the Govt. of H.P.	Chairman
2.	Principal Secretary (Finance) to the Govt. of H.P.	Member
3.	Principal Secretary (Planning, Eco & Stat.) to the Govt. of H.P.	Member
4.	Principal Secretary (Social Justice & Empowerment) to the Govt. of H.P.	Member
5.	Additional/Joint/Deputy/Under Secretary (Education) to the Govt. of H.P.	Member
6.	Director Elementary Education-cum-Mission Director (SSA)	Member
7.	Director Higher Education	Member
8.	Principal SCERT, Solan	Member
	Govt. of India's Nominated Members	
9.	Concerned Joint Secretary or his/her nominee	M/O HRD nominee
10.	Financial Advisor MHRD or his/her nominee	----do----
11.	Dr. Govind, NUEPA	----do----

12.	Dr. Sudesh Negi, Himachal Pradesh University, Shimla	Educationist
	Shimla (SSA Monitoring Institute)	
13	Dr. Tital Malhotra, Amar Jyoti Trust, New Delhi	Voluntary Agency
14.	Ms. Vimala Ramachandran	Women Educationist
Members Nominated by State Govt.		
15.	Sh. Braham Dutt Sharma, Retd. Dy. Director V&PO Bela Tehsil Naduan, Distt. Hamirpur	Educationist
16.	Mrs. Sanjana Goel, IAMD Hospital Road, Tehsil & Distt. Solan	Voluntary Agency
17.	Sh. Jagdish Sharma, Shri Hari Kunj, Lower Kaithu , Shimla-3	Literacy Figures and Artist
18.	State Project Director(SSA) Himachal Pradesh	Member Secretary

Staff Position under RMSA

State Level

Sr. No	Designation	Sanctioned Posts	Filled Posts	Vacant Posts
1	Lecturer	2	2	0
2	TGT	1	1	0
3	Asstt./Clerk	3	2	1

District Level

Sr. No	Designation	Sanctioned Posts	Filled Posts	Vacant Posts
1	District Programme Coordinator /Dy.Directors of Higher Education.	12	12	0
2	District Project Coordinator	11	0	11
3	Lecturer	3	0	3
4	Section Officer	14	0	14
5	Clerk-cum-DEO	25	11	15

6	Peon and Chowkidar	14	0	14
	Total	79	23	57

Chapter 3

INTERVENTION WISE PROGRESS

As access, enrolment & retention are not major concern at secondary level, the state is now focusing on improving the quality of education at various levels. Various initiatives like proper deployment of teachers, developing new curriculum, providing teacher trainings, conduction of action research, training on skill development of teachers and students, school development plan, sensitization of community, vocational education, regular monitoring, supervision and evaluation.

The Annual Work Plan size under RMSA for the state remains small, this leads to the major problem being faced by the SPO, RMSA i.e. very meager Management Cost component, due to which services of adequate staff/ manpower in the field could not be undertaken in spite of approved staff pattern.

The progress attained under RMSA during 2011-12 is as follows:

1. Finance & fund flow:

- Himachal Pradesh School Education Society had received Rs. 160 Lakh (Rs. 120 Lakh from GOI and Rs. 40 Lakh from State Government) during the year 2009-10. Following activities were undertaken in pre-project.

Sr. No	Pre-Project Activities
1	Strengthening of District Level Offices.
2	Stationery items, Electricity, Water and telephone charges, Furniture, Other Office and contingent expenses
3	Organizing workshops, seminars and trainings @ Rs. 2.00 lakh per district.
4	Cultural activities/community mobilization and collection of Data related to availability of school infrastructure and SDP etc. @ Rs. 2000 per school (2015 schools)
5	Installation of computers and its peripherals, fax machine, Photostat and furniture at District level
6	Installation of computer and its peripherals, fax machine, Photostat and furniture at State Level
7	Purchase of content CDs for secondary classes from NCERT
8	Office expenditure/Stationary/Salary of Staff

- During the year **2009-10** the plan size was Rs. 4698.83 lakh, out of which Rs. 3677.73 Lakh was received (Rs. 2758 lakh from GOI and Rs. 919.73 Lakh from State Govt.).
- Initially the PAB of GOI approved Rs. 15684.31 lakh for **2010-11** under RMSA which was later on revised to Rs.12390.26 Lakh vide GOI letter No. F.No.1-32/2010-sch.1 dated 17-02-2011.
- For the year 2011-12 under RMSA the PAB GOI has approved Rs. 20126.80 Lac (Rs. 15095.10 lac as central Share & Rs.5031.70 Lac as state Share). In addition to this the supplementary Quality Plan of size Rs.1446.88 Lac also submitted to the GOI and PAB GOI has approved the Plan of size Rs. 571.35 Lac. Thus during 2011-12 Total Plan size approved by PAB GOI is Rs. 20698.15 Lac.
- Against the approval of 2011-12, the GOI released Rs.951.08 lakh as first installment and Rs. 1150.15 Lakh (171.40+733.75+245.00) as 2nd installment of recurring grant in the month of Oct.2011 and Feb. 2012 respectively. The State Share of Rs 700.04 Lakh in this regard is also received from the State Govt.
- The RMSA recurring funds were utilized on school annual grant, in-service training of teachers and excursion tours of 10th class students.
- During 2011-12, 22 schools were approved by PAB, GOI for up-gradation. So far 59 schools have been made functional by the state Govt. during 2011-12 out of which 22 schools were justified by manual school mapping carried by state project office but due to non-receipt of funds for non-recurring activities during this financial year construction process of above schools could not be initiated.

SCHOOLS APPROVED BY PAB GOI FOR UPGRADATION FROM GMS TO GHS IN 2011-12.

During the year 2011-12 GOI has approved 22 schools for up gradation as High/ Secondary School.

Sl. No	District	Block/ Taluka/ Municipal Corporation	DISE Code	Name of the Schools to be Upgraded
1	KANGRA	DEHRA	02020509202	GMS TIPP
2	KANGRA	NAGROTA BAGWAN	02021200402	GMS AMTRAR
3	KANGRA	RAIT	02021713102	GMS KARERI KHAS
4	KULLU	KULLU-1	02040303806	GMS NAGOUTHI
5	KULLU	BANJAR	02040401411	GMS NAHIN
6	KULLU	BANJAR	02040402804	GMS KANON
7	MANDI	CHACIOT-1	02050701502	GMS PIPLA GALOO
8	MANDI	CHACIOT-2	02050804602	GMS REUNSI

9	MANDI	SERAJ-2	02051001201	GMS KHAOLI
10	MANDI	SERAJ-2	02051001601	GMS SARLI
11	SIRMAUR	DADAHU	02100203002	GMS MOHTU
12	SIRMAUR	NAHAN	02100301602	GMS MANDLAHAN
13	SIRMAUR	NAHAN	02100303604	GMS DHAUN
14	SIRMAUR	RAJGARH	02100601603	GMS DIBBER
15	SIRMAUR	RAJGARH	02100603702	GMS KOTLA MANGAN
16	SIRMAUR	SHILLAI	02100900805	GMS BELLA
17	SIRMAUR	SURLA	02101004302	GMS SALANI KATOLA
18	SIRMAUR	SURLA	02101004602	GMS NAGAL SUKETI
19	SIRMAUR	NARAG	02101200602	GMS KOTLA PANJOLA
20	SOLAN	KUTHAR	02090201901	GMS SHILLI
21	SOLAN	RAMSHAHAR	02090702101	GMS BHIUNKHARI
22	UNA	BANGANA	02070608402	GMS BALH SAILI

The State Govt. has notified and made functional 58 schools during the years 2011-12,. Out of these 22 schools are justified under RMSA School mapping and as per list submitted to GOI .

Sr. No	District	Constituency	Govt. High School	Notification No and date
1	Kangra	N. Bagwan	Jandrah	Shiksha-IIChha(5)-2/2010 -,dated 03.05.2011
2	Kangra	N.Bagwan	Palah Chaklu	Shiksha-IIChha(5)-2/2010 -,dated 03.05.2011
3	Kullu	Anni	Ladhagi	EDN-B-E(1)-74/2011. dated /13.09.2011
4	Kullu	Banjar	Thela	Shiksha-IIChha(5)-11/2011-,dated 9/.2011
5	Sirmour	Nahan	Chanal Majra	Shiksha-IIChha(5)-2/2011 -,dt 31.5.2011
6	Bilaspur	Gehrwin	Malangan	Shiksha-Chha(5)-4/2011,dated 19.05..2012
7	Bilaspur	Gehrwin	Gangloh	Shiksha-Chha(5)-4/2011,dated 19.05..2012
8	Sirmour	Paupta Doon	Rampurghat	Shiksha-Chha(5)-10/2011,dated 14.03.2012
9	Sirmour	Paupta Doon	Muglawala	Shiksha-Chha(5)-10/2011- ,dated 264.2012
10	Sirmour	Nahan	Dhoun	Shiksha-Chha(5)-10/2011- dated 30.04.2012 & corri. Dt.31.5.12
11	Sirmour	Renuka	Deventhangar	Shiksha-Chha(5)-10/2011- dated 30.04.2012
12	Solan	Nalagarh	Baria	Shiksha-Chha(5)-02/2011-loose,dated 21.03.2012
13	Solan	Doon	Manlogkalan	Shiksha-Chha(5)-02/2011-loose,dated 13.03.2012
14	Kullu	Banjar	Kanaun	Shiksha-Chha(5)-11/2011-loose,dated .4.2012
15	Kullu	Banjar	Sari	Shiksha-Chha(5)-11/2011-loose,dated 8.06.12

16	Kullu	Banjar	Hirab	Shiksha-Chha(5)-11/2011-loose,dated 8.06.12
17	Mandi	Sunder Nagar	Ghangnoo	Shiksha-Chha(5)-12//2011- ,dated 30.4.2012
18	Una	Kutlehar	Lamlahari	Shiksha-Chha(5)-8/2011,dated 30.04.2012
19		Una	Lower Basal	Shiksha-Chha(5)-8/2011,dated 30.04.2012
20	Chamba	Bhatiyat	Bharari	Shiksha-Chha(5)-5/2011 ,dated 30.04.2012
21	Hamirpur	Hamirpur	Khiah	Shiksha-Chha(5)-7/2011,dated 06.03.2012
22		Bamson	Thathwani	Shiksha-Chha(5)-7/2011,dated 30.04.2012

Out of exerting GHS/GSSS

- 320 schools were also approved for the strengthening of infrastructure viz. construction of additional class rooms, Headmaster room, Principal room, Library, Sc.lab, lab equipments, office rooms /Computer room etc.. The funds in this regard for construction is still awaited from GOI.

2. Civil Works:

The main issue related to implementation of civil works under RMSA is that most these works are quite big works in terms of physical outputs and finance involved. As far the RMSA guidelines, the construction is to be done through Building committee of the schools or through special agencies engaged for the purpose. In so far as the first option is concerned, it is not practically feasible to get the SMC implement works with value beyond Rs.10-15 Lakh. Since under RMSA most of the new works have a cost component bigger than this amount, hence implementations through SMCs become almost impossible. However small repair works or construction of 1-2 class rooms/activity rooms can be assigned to SMCs.

Keeping all this in view, different options were explored for implementing various civil works under RMSA & based on the capabilities available with various agencies like BSNL(civil wing) HIMUDA etc. the construction of complete school building was assigned to these agencies. Another issue which the state has been facing regarding speedy construction of civil works is the non availability of land for construction of new school. Since all vacant land is now treated as forest land hence, forest clearance is required, which takes lot of time.

- **Construction of new school buildings under RMSA.**

The breakup of the above schools is as under:

Section I (with strength of students' up to 50)

Sl. No.	Particular	No.	Budgetary Provision (Rs. in lacs)
1	Classrooms	2	11.26

2	Science Laboratory	1	6.10
3	Lab Equipment	1	1.00
4	Head Master's Room	1	5.00
5	Computer Laboratory	1	5.00
6	Office	1	5.00
7	Art and Craft Room	1	5.00
8	Library	1	7.00
9	Separate toilets for boys and girls	1	1.50
	Total		46.86

Section II (with strength of students more than 50)

Sl. No.	Particular	No.	Budgetary Provision (Rs. in lacs)
1	Classrooms	4	22.52
2	Science Laboratory	1	6.10
3	Lab Equipment	1	1.00
4	Head Master's Room	1	5.00
5	Computer Laboratory	1	5.00
6	Office	1	5.00
7	Art and Craft Room	1	5.00
8	Library	1	7.00
9	Separate toilets for boys and girls	1	1.50
	Total		58.12

- Out of existing GHS/GSSS, 320 schools were approved for the strengthening of infrastructure viz. construction of additional class rooms, Headmaster room, Principal room, Library, Sc.lab, lab equipments, office rooms /Computer room etc. However, funds for the strengthening of these schools have not been received during the financial year, thus the construction process of these schools could not be initiated.

List of 320 School approved for Strengthening of Infrastructure under RMSA for the year 2011-12

Sr.No	District	Block	School Name
1	CHAMBA	BANIKHET	GSSS MAIL
2	CHAMBA	BHARMOUR	GSSS KHANI
3	CHAMBA	CHAMBA	GSSS CHANED
4	CHAMBA	CHOWARI	GSSS RAIPUR

5	CHAMBA	CHOWARI	GSSS SAHLA
6	CHAMBA	GAROLA	GSSS HOLI
7	CHAMBA	KIANI	GSSS KIANI
8	CHAMBA	KIANI	GSSS SIRKUND
9	CHAMBA	KIANI	GSSS CHAKLOO
10	CHAMBA	MEHLA	GSSS MEHLA
11	CHAMBA	MEHLA	GSSS BAKANI
12	CHAMBA	MEHLA	GSSS SUNARA
13	CHAMBA	MEHLA	GSSS GUWAN
14	CHAMBA	SIHUNTA	GSSS HATLI
15	CHAMBA	SUNDLA	GHS LIGGA
16	CHAMBA	SUNDLA	GSSS BAGGI
17	CHAMBA	SUNDLA	GSSS BHALEI
18	CHAMBA	SUNDLA	GSSS SUNDLA
19	CHAMBA	SUNDLA	GSSS TIKROO
20	CHAMBA	TISSA	GSSS JASSOURGARI
21	CHAMBA	TISSA	GSSS CHANJU
22	KANGRA	BAIJNATH	GSSS KUNSAL
23	KANGRA	BHAWARNA	GSSS ATYALA DAI
24	KANGRA	BHAWARNA	GSSS BHAWARNA
25	KANGRA	CHADHIAR	GSSS CHADHIAR
26	KANGRA	DADASIBA	GSSS BADHAL THOF
27	KANGRA	DADASIBA	GHS BEHIN
28	KANGRA	DADASIBA	GSSS DHALIARA
29	KANGRA	DADASIBA	GSSS KOTLA BEHAR
30	KANGRA	DADASIBA	GSSS SEUL
31	KANGRA	DADASIBA	GSSS BATHU TIPPRI
32	KANGRA	DEHRA	GSSS JAWALAMUKHI
33	KANGRA	DEHRA	GSSS KHUNDIAN
34	KANGRA	DHARAMSALA	GSSS DARI
35	KANGRA	DHARAMSALA	GSSS GHANIARA
36	KANGRA	DHARAMSALA	GSSS TANG NARWANA
37	KANGRA	DHARAMSALA	GHS JADRANGAL
38	KANGRA	FATEHPUR	GHS(GIRLS) REHAN
39	KANGRA	FATEHPUR	GSSS REY
40	KANGRA	FATEHPUR	GSSS DHAMETA
41	KANGRA	INDORA	GSSS INDORA
42	KANGRA	INDORA	GSSS KANDWAL

43	KANGRA	INDORA	GHS PARAL
44	KANGRA	INDORA	GHS TATWALI
45	KANGRA	JAWALI	GSSS HARSAR
46	KANGRA	KANGRA	GSSS KACHHIARI
47	KANGRA	KANGRA	GSSS RAJAL
48	KANGRA	KANGRA	GSSS ZAMANABAD
49	KANGRA	KANGRA	GSSS SALOL
50	KANGRA	LAMBAGAON	GSSS KOSRI
51	KANGRA	LAMBAGAON	GSSS LAHRU
52	KANGRA	LAMBAGAON	GHS UPPER LAMBAGAON
53	KANGRA	NAGROTA BAGWAN	GSSS AERLA
54	KANGRA	NAGROTA BAGWAN	GSSS DHALOON
55	KANGRA	NAGROTA BAGWAN	GHS HATWAS
56	KANGRA	NAGROTA BAGWAN	GSSS SERATHANA
57	KANGRA	NAGROTA SURIAN	GSSS AMLELA
58	KANGRA	NAGROTA SURIAN	GSSS BARIAL
59	KANGRA	NAGROTA SURIAN	GHS GULER
60	KANGRA	NURPUR	GSSS BHALI
61	KANGRA	NURPUR	GSSS JASSUR
62	KANGRA	NURPUR	GHS KOT PLAHARI
63	KANGRA	NURPUR	GHS KUKHER
64	KANGRA	NURPUR	GSSS (BOYS) NURPUR
65	KANGRA	NURPUR	GHS JACHH
66	KANGRA	PALAMPUR	GSSS BALAH
67	KANGRA	PALAMPUR	GSSS PARAUR
68	KANGRA	PANCHRUKHI	GHS ANDRETA
69	KANGRA	PANCHRUKHI	GSSS PAHRA
70	KANGRA	RAIT	GSSS BOH
71	KANGRA	RAIT	GSSS CHARRI
72	KANGRA	RAJA KA TALAB	GSSS GANGATH
73	KANGRA	RAJA KA TALAB	GSSS MAINJGRAN
74	KANGRA	RAKKAR	GHS GARLI(G)
75	KANGRA	RAKKAR	GHS GAGRUI
76	LAHUL-SPITI	KEYLONG-1	GSSS SISSU
77	LAHUL-SPITI	UDAIPUR	GSSS TINGRET
78	KULLU	NAGGAR	LAL CHAND PRATHI SMARK G.S.S.S. NAGGAR
79	KULLU	KULLU-1	GHS KHALOGI

80	KULLU	KULLU-1	GHS SHIAH
81	KULLU	KULLU-1	GSSS MANIKARAN
82	KULLU	KULLU-1	GSSS GARSA
83	KULLU	KULLU-1	GHS BREHIN
84	KULLU	BANJAR	GSSS PUJALI
85	KULLU	BANJAR	GHS JIBHI
86	KULLU	BANJAR	GSSS BANJAR
87	KULLU	BANJAR	GSSS THATIBIR
88	KULLU	ANNI	GSSS KUNGASH
89	KULLU	NIRMA ND	GSSS DEOGI
90	MANDI	SADAR-1	GHS BANDAL
91	MANDI	SADAR-1	GSSS PANARSA
92	MANDI	SADAR-1	GSSS NANAWAN
93	MANDI	SADAR-2	GSSS GHRAN
94	MANDI	SADAR-2	GSSS BALU
95	MANDI	SUNDER NAGAR-1	GSSS JAROL
96	MANDI	SUNDER NAGAR-1	GSSS SALWANA
97	MANDI	SUNDER NAGAR-1	GSSS SLAPPER
98	MANDI	SUNDER NAGAR-1	GHS KALAHOD
99	MANDI	SUNDER NAGAR-2	GSSS PHANGWAS
100	MANDI	SUNDER NAGAR-2	GHS PAURA KOTHI
101	MANDI	SAIGALOO	GHS BAGI TUNGAL
102	MANDI	SAIGALOO	GSSS KOT TUNGAL
103	MANDI	SAIGALOO	SHAHEED SUBEDAR KHEM CHAND GSSS SAIGALOO
104	MANDI	SAIGALOO	GSSS BIR (TUNGAL)
105	MANDI	SAIGALOO	GSSS KARKOH
106	MANDI	SAIGALOO	GSSS RANDHARA
107	MANDI	SAIGALOO	GSSS GOKHARA
108	MANDI	BALH	GSSS BHANGROTU
109	MANDI	BALH	GHS BAGLA
110	MANDI	BALH	GHS SIANJI
111	MANDI	BALH	GHS SIANJ
112	MANDI	CHACIOT-1	GHS TAROUR
113	MANDI	CHACIOT-1	GSSS KEOLIDHAR
114	MANDI	CHACIOT-1	GSSS BAGSAID
115	MANDI	CHACIOT-1	GSSS SHALLA
116	MANDI	SERAJ-1	GHS SHIVA KUTHER

117	MANDI	SERAJ-1	GSSS CHEUNI
118	MANDI	SERAJ-2	GSSS GHAT
119	MANDI	SERAJ-2	GSSS B C THACH
120	MANDI	DARNG-1	GSSS GUMMA
121	MANDI	DARNG-1	GSSS BASSI
122	MANDI	DARNG-1	GSSS TIKROO
123	MANDI	DARNG-2	GSSS BATHERI
124	MANDI	DARNG-2	GSSS KUFRI
125	MANDI	DARNG-2	GSSS ROPA
126	MANDI	CHAUNTRA-1	GSSS LANGNA
127	MANDI	CHAUNTRA-1	GSSS DRUBBAL
128	MANDI	KARSOG-1	GHS KUNHOO
129	MANDI	KARSOG-1	GSSS SHANKARDEH
130	MANDI	KARSOG-2	GHS BAKHROT
131	MANDI	KARSOG-2	GSSS JASSAL
132	MANDI	GOPALPUR-1	GSSS GOPALPUR
133	MANDI	GOPALPUR-1	GSSS CHANDESH
134	MANDI	GOPALPUR-1	GSSS BHADERWAR
135	MANDI	GOPALPUR-1	GSSS SARKAGHAT
136	MANDI	GOPALPUR-2	GSSS CHOWK
137	MANDI	DHARMPUR-2	GSSS HEUNPEHAD
138	HAMIRPUR	SUJANPUR	GSSS KAKKAR
139	HAMIRPUR	SUJANPUR	GSSS CHAURI
140	HAMIRPUR	SUJANPUR	GSSS PATLANDER
141	HAMIRPUR	SUJANPUR	GSSS CHABUTRA
142	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS KHAWAR
143	HAMIRPUR	BHORAJ	GHS BADEHAR
144	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS LADRAUR
145	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS JAHU
146	HAMIRPUR	BHORAJ	LMGSSS PAROL
147	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS BAHANWIN
148	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS PATTA
149	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS MAHADEV
150	HAMIRPUR	BHORAJ	GSSS TAL
151	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS BATRAN
152	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS SERA
153	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS AMLEHAR
154	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS KASHMIR

155	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS BADARAN
156	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS LOWER HARETA
157	HAMIRPUR	NADAUN	RGM GSSS RAIL
158	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS(B) NADAUN
159	HAMIRPUR	NADAUN	GSSS(G) NADAUN
160	HAMIRPUR	BIJHARI	GSSS GIARA GRAN
161	HAMIRPUR	BIJHARI	GSSS BARSAR
162	HAMIRPUR	BIJHARI	GSSS RAILI JAJRI
163	HAMIRPUR	BIJHARI	GHS KARER
164	HAMIRPUR	BIJHARI	GSSS TIPPER
165	HAMIRPUR	BIJHARI	GSSS GHANGOT
166	HAMIRPUR	TAUNI DEVI	GSSS BADHANI
167	HAMIRPUR	TAUNI DEVI	GSSS TAUNI DEVI
168	UNA	UNA-1	GSSS HAROLI
169	UNA	UNA-1	GSSS BATHRI
170	UNA	UNA-1	GHS NANGAL KALAN
171	UNA	UNA-1	GSSS PUBOWAL
172	UNA	UNA-1	GSSS RORA
173	UNA	UNA-1	GSSS BADEHRA
174	UNA	UNA-2	GSSS (B) SANTOSH GARH
175	UNA	UNA-2	GSSS TAKKA
176	UNA	UNA-2	GSSS NANGRAN
177	UNA	GAGRET-1	GSSS PANDOGA
178	UNA	GAGRET-1	GSSS PANJAWAR
179	UNA	GAGRET-1	GHS SANGHNAI
180	UNA	GAGRET-1	GSSS KALOH
181	UNA	GAGRET-1	PT. MLDS GSSS KHAD
182	UNA	GAGRET-2	GHS KUNERAN
183	UNA	GAGRET-2	GSSS GONDPURA BANEHRA
184	UNA	GAGRET-2	GSSS BHADERKALI
185	UNA	AMB	GHS KURIALA
186	UNA	AMB	GSSS SALOI
187	UNA	BANGANA	GSSS MANDLI
188	UNA	BANGANA	GSSS THANAKALAN
189	UNA	BANGANA	GSSS BAUL
190	UNA	BANGANA	GSSS AMBEHRA
191	UNA	BANGANA	GSSS BANGANA
192	UNA	BANGANA	GSSS LATHIANI

193	BILASPUR	SADAR	GSSS BARMANA
194	BILASPUR	SADAR	GSSS RANI KOTLA
195	BILASPUR	SADAR	GSSS RAGHUNATH PURA
196	BILASPUR	SADAR	GSSS KOTHIPURA
197	BILASPUR	SADAR	GSSS DEOTH
198	BILASPUR	SADAR	GSSS SOLDHA
199	BILASPUR	SADAR	GSSS SUIN SURHAR
200	BILASPUR	SWARGHAT	GSSS TARSOOH
201	BILASPUR	SWARGHAT	GSSS BASSI
202	BILASPUR	SWARGHAT	GSSS TAMBOL
203	BILASPUR	JHANDUTTA	GSSS JEJWIN
204	BILASPUR	JHANDUTTA	GSSS NAKHLERA
205	BILASPUR	JHANDUTTA	GHS GHARAN
206	BILASPUR	JHANDUTTA	GSSS KOSERIAN
207	BILASPUR	GHUMARWIN-1	GSSS KOT
208	BILASPUR	GHUMARWIN-1	GSSS KUTHERA
209	BILASPUR	GHUMARWIN-1	GSSS MORSINGHI
210	BILASPUR	GHUMARWIN-1	GHS KATHALAG
211	BILASPUR	GHUMARWIN-1	GHS CHHAT
212	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GSSS GWAL MUTHANI
213	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GSSS HAWAN
214	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GSSS TALYANA
215	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GHS KOTHI
216	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GHS AMARPUR
217	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GHS PANOH
218	BILASPUR	GHUMARWIN-2	GSSS SAMOH
219	SOLAN	DHRAMPUR	GSSS CHAMIAN
220	SOLAN	DHRAMPUR	GHS SANAWAR
221	SOLAN	DHRAMPUR	GHS DAGSHAI
222	SOLAN	DHRAMPUR	GSSS KANDA
223	SOLAN	DHRAMPUR	GSSS RAJRI JABLI
224	SOLAN	KANDAGHAT	GSSS CHAIL
225	SOLAN	KANDAGHAT	GSSS KALHOG
226	SOLAN	KANDAGHAT	GHS SHAMROR
227	SOLAN	KANDAGHAT	GSSS OACHGHAT
228	SOLAN	KANDAGHAT	GSSS SALOGRA
229	SOLAN	NALAGARH	GSSS NALAGARH(B)
230	SOLAN	NALAGARH	GSSS JOGHON (N)

231	SOLAN	NALAGARH	GHS RAJPURA
232	SOLAN	ARKI	GSSS BHUMTI
233	SOLAN	ARKI	GSSS CHANDI (A)
234	SOLAN	RAM SHAHAR	GSSS GULLERWALA
235	SOLAN	RAM SHAHAR	GSSS MANJHOLI
236	SOLAN	RAM SHAHAR	GSSS SAUR
237	SOLAN	RAM SHAHAR	GSSS RAMSHEHAR
238	SOLAN	RAM SHAHAR	GHS CHAMDAR
239	SIRMOUR	BAKRAS	GHS BHATGARH
240	SIRMOUR	NAHAN	GSSS JAMTA
241	SIRMOUR	NOHRADHAR	GSSS LANA CHETA
242	SIRMOUR	NOHRADHAR	GSSS BHAWAHI
243	SIRMOUR	PAONTA SAHIB	GSSS NIHALGARH
244	SIRMOUR	PAONTA SAHIB	GHS HARIPURKHOL
245	SIRMOUR	PAONTA SAHIB	GSSS KOLAR
246	SIRMOUR	RAJGARH	GSSS PHAGOOG
247	SIRMOUR	SARAHAN	GSSS KALOH
248	SIRMOUR	SARAHAN	JAIHER
249	SIRMOUR	SARAHAN	GSSS WASNI
250	SIRMOUR	SATAUN	GSSS SATAUN
251	SIRMOUR	SATAUN	GSSS JAMNA
252	SIRMOUR	SATAUN	GSSS KILLOUR
253	SIRMOUR	SHILLAI	GHS TIMBI
254	SIRMOUR	SHILLAI	GSSS DRABIL
255	SIRMOUR	SHILLAI	GSSS KOTI BOUNCE
256	SIRMOUR	SURLA	GSSS BURMA PAPRI
257	SIRMOUR	SURLA	GHS SAINWALA
258	SHIMLA	CHAUHARA	GSSS KALOTI
259	SHIMLA	CHOPAL	GSSS SARI
260	SHIMLA	DEHA	GSSS GHOOND
261	SHIMLA	JUBBAL	GSSS SOLANG
262	SHIMLA	JUBBAL	GSSS PANDRANU
263	SHIMLA	JUBBAL	GSSS SARSWATI-NAGAR
264	SHIMLA	JUBBAL	GHS (G) JUBBAL
265	SHIMLA	JUBBAL	GSSS MANDHOL
266	SHIMLA	KASUMPATI	GSSS BEOLIA
267	SHIMLA	KOTKhai	GSSS MAHASU
268	SHIMLA	KOTKhai	GSSS JAUNI

269	SHIMLA	KOTKHAI	GSSS (G) KOTKHAI
270	SHIMLA	KOTKHAI	GSSS KIARI
271	SHIMLA	KUMARSAIN	GSSS BHUTTI
272	SHIMLA	KUMARSAIN	GSSS MALENDI
273	SHIMLA	KUMARSAIN	GSSS SHIWAN
274	SHIMLA	KUMARSAIN	GSSS KANGAL
275	SHIMLA	KUMARSAIN	GHS GALANI
276	SHIMLA	KUMARSAIN	GSSS KHANETI SADHOCH
277	SHIMLA	MASHOBRA	GSSS KUFRI
278	SHIMLA	MASHOBRA	GHS JANEDGHAT
279	SHIMLA	MASHOBRA	GSSS PIRAN
280	SHIMLA	MASHOBRA	GSSS KOTI
281	SHIMLA	MATIANA	GHS KOT-SHILARU
282	SHIMLA	MATIANA	GSSS GADAKUFRI
283	SHIMLA	MATIANA	GSSS KIARA
284	SHIMLA	NANKHARI	GSSS BAGALTI
285	SHIMLA	NANKHARI	GSSS BARACH
286	SHIMLA	NANKHARI	GSSS SHOLI
287	SHIMLA	NERWA	GSSS SHILLA
288	SHIMLA	NERWA	GSSS MANEOTI
289	SHIMLA	NERWA	GSSS TIKKARI (NEWAL)
290	SHIMLA	NERWA	GSSS KEDI
291	SHIMLA	NERWA	GSSS BAUR
292	SHIMLA	NERWA	GSSS RUSLAH
293	SHIMLA	RAMPUR	GSSS NOGLI
294	SHIMLA	RAMPUR	GSSS DUTT NAGAR
295	SHIMLA	RAMPUR	GSSS DANSA
296	SHIMLA	RAMPUR	GSSS NARAYAN
297	SHIMLA	ROHRU	GHS SEEMA
298	SHIMLA	SHIMLA-4	GHS SHAMLAGHAT
299	SHIMLA	SUNI	GSSS KHATNOL
300	SHIMLA	SUNI	GSSS DARGI
301	SHIMLA	SUNI	GSSS PAHAL
302	SHIMLA	SUNI	GSSS KARYALI
303	SHIMLA	SUNI	GSSS CHALAL (THACHI)
304	SHIMLA	THEOG	GSSS SAINJ
305	SHIMLA	THEOG	GHS DHAMANDRI
306	SHIMLA	THEOG	GSSS CHEOG

307	SHIMLA	KUPVI	GSSS GAUNTH
308	SHIMLA	SARAHAN	GSSS DHAR GAURA
309	SHIMLA	TIKKAR	GSSS PUJARLI-4
310	SHIMLA	TIKKAR	GHS BADSHAL
311	SHIMLA	TIKKAR	GSSS PUJARLI-3
312	SHIMLA	TIKKAR	GSSS MELTHI
313	SHIMLA	TIKKAR	GSSS TIKKAR
314	KINNAUR	NICHAR	GHS PANVI
315	KINNAUR	NICHAR	GHS NATHPA
316	KINNAUR	KALPA	GHS BATSERI
317	KINNAUR	KALPA	GSSS SAPNI
318	KINNAUR	POOH	GHS LIYO
319	KINNAUR	POOH	GHS NAKO
320	KINNAUR	POOH	GSSS CHANGO

3. Teachers Training

- Teachers training under RMSA in the state are being conducted through DIET's. At the State level trainings, master trainers in the three main subject's viz. Mathematics, Science and English have already been trained and they have further imparted trainings in their respective districts. In all the teachers trainings special focus is to train teachers in computer /IT education also. At the district level, development of module and master trainers in other subjects, viz. Social science, Hindi, Sanskrit, Physical education, Art and craft/ Drawing were given to the DIET's level.
- To improve the quality of teacher's training, SPO has created a pool of master trainers in mathematics and science in collaboration with National Institute of Technology, Hamirpur.
- Minimum level competencies for Math, Science and English for secondary classes have been identified with the help of school teachers.
- Teacher training modules of Science, Maths and English have been developed at the state level. Master trainers in the subject of mathematics and science have been trained in collaboration with NIT Hamirpur and SCERT Solan.
- The SPO is also involving SCERT and SIEMAT for providing support in relation to RMSA trainings. The SCERT Solan has been assigned the task of preparing the plan for ensuring employability and Development of Guide Book on career guidance & Counseling for secondary school students.

- Five days training of Principals and Headmasters of GSSSs and GHSs is done at the state level. All the districts will be covered for the above trainings. The main focus of this training is to make all the school heads aware about Pedagogy, Right to Education Act-2009, School organization, Administrative management, Accounts matters, Role of SMCs in effective functioning of schools, Preparation of School Development Plans, Leadership ,PMIS & RTI etc.

4. Inclusive Education for the disabled at secondary stage: (IEDSS)

Under this scheme proposal has been sent to the GOI for the year 2011-12. the GOI has approved a sum of Rs. 3,24,66,158 for the CWSN studding in 9th to 10+2 in govt. schools.

5. Research and Evaluation activities

Piloting of CCE in class 9th in selected 50 schools of Shimla, Bilaspur & Solan Districts have been undertaken. All the Heads (Principals / Headmasters) of these schools will be trained for CCE activities. Minimum level competencies for English, Hindi, Math's & Science for secondary classes will be identified with the help of school teachers and experts and the achievement level of students is being proposed to be measured based on these competencies. For this tools for the baseline have to be developed and thereafter testing of tools at the school level will be done. Baseline assessment will be later on compared with terminal assessment to see the progress made by the children during the academic session. Baseline Achievement Survey of Class IX-X in subject English, Hindi, Mathematics, Science and Social Science separately done Through SCERT Solan in all the districts.

6. Gender specific activities

All the activities planned and implemented under RMSA have been undertaken keeping in view the gender perspective. Following activities have been undertaken under gender intervention. SMCs have been sensitized towards girls' education in convergence with SSA.Five Girls' Hostels in Educationally Backward Blocks of Chamba and Sirmour districts are under construction.More emphasis have been given under RMSA to different routine activities like girl guiding, NSS & NCC to empower girls.In convergence with SJ&E department and with the help of SABLA programme out of school adolescent girls have been taken care of.

7. SMCs & Community mobilization

The SMC is monitoring the progress of implementation of all the components of the scheme under RMSA at school level. SMC's Members have been authorized to supervise the school at regular intervals and school official are being accountable to the community. They are being trained for this job.

8. Other initiatives for Quality education.

- The NCERT/SCERT/DIET/SEIMAT/NUEPA & HIPA are providing in service and pre-service courses to educators, administrators of state and district levels.
- The process of teaching and learning through Active learning Methodology (ALM) is being proposed to be pilot tested in 50 schools of the state.
- In order to develop the Life Skill among the students and make them ready to wear the stress of life 20 teachers and 20 children's of class 9th & 10th were oriented for five days at HIPA through ANNDA Foundation .With the help of these orientated teachers further Training on Life Skills will be imparted.
- To level off the existing disparities in the distribution of education facilities in the State, an intensive school mapping exercise has been carried out with active participation of all the BRCCs.. This exercise give the clear picture of 441 area/location where the secondary schools are to be established in near future together with the other facilities.
- Adopting a rational policy of teacher's recruitment, deployment, training, and career advancement, the process of rationalization of teacher's deployment has been done.
- Provision of necessary professional and academic inputs in secondary education system at all level i.e. from school level upwards and streamlining financial procedures for the speedy flow of funds and their optimal utilization.

Chapter 4

MODEL SCHOOL SCHEME

The H.P. State Govt. has established 05 Model Schools in Educationally Backward Blocks of Chamba & Sirmaur Distt., where rural female literacy is below 46.13% and the gender gap is above 21.59%, by upgrading the following Govt. institutions to the level of Senior Secondary Schools and these Model Schools have been made functional w.e.f. 24/11/2010 & locations are as :-

Sr. No.	Name of the School Govt. Model Senior Secondary School	Name of Educationally backward Block	District
1.	Kandiari	Shillai	Sirmaur
2.	Khushnagri	Tissa	Chamba
3.	Bharian Kothi	Mehla	Chamba
4.	Dand	Salooni	Chamba
5.	Hillour	Pangi	Chamba

Cost Norms & Fund Flow:

The above scheme is being run in the State on the sharing pattern of 90:10 (90% GOI, 10% State). The GOI has released the first installment of central share amounting to Rs. 6.78 crore(@ Rs. 1.356 crore per school) and the State Govt. has released Rs. 45,00,000/- during the year 2009-2010. The State Govt. has released Rs 15 lach vide letter No. *EDN-H(4)-(3) plan dated 10—05-2011* as state share during 2011-12.

The GOI has estimated the total non-recurring cost for setting up of the Model Schools on Kendriya Vidyalaya Template with classes 6th to 12th with two sections in each class @ Rs. 3.02 crore. The recurring cost per year has been estimated around Rs. 0.75 crore per annum.

The Govt. of India in its meeting of GIAC observed to provide for adoption of CPWD norms applicable to the particular locations. Also Kendriya Vidyalaya Sangathan norms permit higher cost for hilly and remote areas. Considering the above, GIAC recommended 5 Model Schools in the State of Himachal Pradesh with admissible non-recurring cost of Rs. 18.10 crore @ Rs. 3.62 crore per school (at 20% higher cost norms). The central share at a sharing pattern of 90:10 (Himachal Pradesh being a special category State) is Rs. 16.29 crore.

Therefore, the revised pattern of funding as per approval of Govt. of India in its meeting for 5 Model Schools will be as under:

Rs. in crores

Sr. No.	Total Cost Non Recurring	Total cost recurring	Central share non recurring	State Share non recurring	Central share recurring	State share recurring
1.	18.10	3.75	16.29	1.81	3.375	0.375

The scheme provides for 3% of total cost on management, monitoring, evaluation and research. This amount will be spent on the above mentioned activities out of recurring cost.

The progress attained is as follows:-

The State Govt. vide its Notification number Shiksha-II Ga(3)-1/2005, dated 1/6/2010 has created 170 posts of various categories (including teaching & non-teaching) in these 05 Model Schools. Now as per the Notification number Shiksha-II Ga(3)-1/2005, dated 29/10/2011 from the Govt., the 05 posts of Lecturers/PGTs (Commerce) have been created in lieu of earlier created 02 posts of Lecturers/PGTs (Geography) & 03 created posts of Lecturers/ PGTs(History) on the pattern of K.V. in these model schools. The Department has posted some staff in these institutions through deputation from the existing cadre of teaching/non-teaching staff.

The State Govt. has signed an agreement with the construction agency HIMUDA in the month of March 2011 and released Rs. 7.24 crore to HIMUDA for the construction of the buildings of these Model Schools. The process of land acquisition is under progress.

Chapter- 5

GIRLS HOSTEL SCHEME

The scheme for the Construction and Running of Girls' Hostel for Students of Secondary and Senior Secondary Schools in Educationally Backward Block under the Centrally Sponsored Scheme (90:10) is to strengthen the Boarding and Hostel facilities for Girls' Students of Secondary and Higher Secondary Schools. The girl students studying in classes IX to XII and belonging to SC, ST, OBC, Minority Communities and BPL families shall be benefitted under this scheme. It is absolutely essential to strengthen the girl students of IX to XII by providing them greater access to education and also by improving infrastructure facilities in a significant way. This scheme will play significant role for the promotion of Girl's education and to eliminate gender disparity in Secondary and Higher Secondary Schools in Educationally Backward Blocks in the State.

Objectives of Scheme

1. To provide good quality education to the deprived SC, ST, OBC, Minority Communities and BPL families students of Educationally Backward Blocks.
2. To provide educational development equal to other section of the society.
3. To remove the gender disparities among the disadvantaged communities like SCs, STs, OBCs, and Minorities in Secondary stage.
4. To establish clear links with the provisions for girls Primary Education under SSA with the plans for girls' Secondary Education so that the girls who complete their Primary Schooling are assured of access to Secondary Schooling.
5. To strengthen and attract more girls from SC, ST, OBC, Minority Communities and BPL families.
6. To fulfill specific needs of girls from minority communities, girls with disability, orphaned and deserted girls.
7. To reduce the dropout rate of the girl students after class VIII.

Location of Girls Hostels in the State is as:

Sr. No.	Name of the School	Name of EBB Block	District
1.	GSSS Shillai	Shillai	Sirmaur
2.	GSSS Sach,	Pangi	Chamba

3.	GSSS Mehla	Mehla	Chamba
4.	GSSS Himgiri	Salooni	Chamba
5.	GSSS Tissa	Tissa	Chamba

Cost norms & fund flow:

The GOI has estimated the total non-recurring cost for setting up of five Girls Hostels in EBB of Himachal Pradesh @ Rs.42.50 Lakh based on KGVB norms. The recurring cost estimated is @ Rs. 14.27 lakh. The GOI has released Rs.95.62 lakh as first installment of non recurring grant & State Government has released Rs.6.37 lakh during the current financial year for the construction of Girls Hostels in the State.

The progress attained is as follows:

For the construction of 5 hostels in each Educationally Backward Blocks in the compound of a Govt. Senior Secondary School selected by the department will be very helpful for the students belonging SC, ST, OBC, Minorities and BPL families in Educationally Backward Block in the state. For the construction of Hostels in above said locations, the acquisition of adequate land wherever required is under process with the Forest Department. The construction work of girls Hostel at GSSS Shilai is under process after land transfer.